इस्लाम धर्म की विशेषतायें

संकलन

अताउर्रहमान ज़ियाउल्लाह

इस्लामी आमन्त्रण एंव निर्देश

कार्यालय रब्वा, रियाज़, सऊदी अरब

islamhouse.com

1430–2009

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम

मैं अति मेहरबान और दयालु अल्लाह के नाम से आरम्भ करता हूँ।

إن الحمد للّه، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ باللّه من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده اللّه فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا اللّه وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده و رسوله صلى اللّه عليه وعلى آله وصحبه وسلم.

أما بعد:

हर प्रकार की प्रशंसा और गुणगान सृष्टि के रचयिता अल्लाह सुब्हानहु व तआला के लिए योग्य है जिसने हमें इस्लाम की ने'मत से सम्मानित किया और उसका मार्ग दर्शाने के लिए अपने अन्तिम संदेष्टा मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम को भेजा तथा उन पर अपना अन्तिम ग्रंथ कुरआन करीम अवतरित किया।

अतः आप पर और आपकी संतान, आप के सहाबा-किराम और क़ियामत के दिन तक आपके मानने वालों पर, अल्लाह की दया और शांति अवतरित हो।

इस्लाम ही एम मात्र सच्चा धर्म है जिसे अल्लाह तआला ने सर्व मानव जाति के लिए पसंद फरमाया है और उसे स्वीकार करने का आदेश दिया है। तथा इस बात को भी स्पष्ट कर दिया है कि यदि कोई व्यक्ति इस्लाम के अलावा कोई दूसरा धर्म ढूंढ़ता है तो अल्लाह तआला उसके उस धर्म को कभी भी क़बूल नहीं करेगा। बल्कि ऐसा करने वाला घाटे और टूटे में होगा।

इस्लाम धर्म क़ियामत आने तक हर समय और हर स्थान पर बसने वाले सभी लोगों का धर्म है। यही वह एकमात्र धर्म है जो मनुष्य के लिए आत्म शांति, हार्दिक सुख, वास्तविक सौभाग्य और लोक-परलोक में सफलता और मोक्ष प्रदान करने की क्षमता रखता है। उसने

मनुष्य के व्यक्तिगत, पारिवारिक, सामुदायिक, सार्वजनिक ... इत्यादि मामलों से संबंधित ऐसे सूक्ष्म आचार, उचित नियम, विधान, नीति और सिद्धांत प्रस्तुत किए है जिस किये हैं जिन्हें अपनाने से उसका जीवन सुखद हो सकता है और उसे वास्तविक सौभाग्य प्राप्त हो सकता है, जिसके लिए आज हर व्यक्ति अभिलाषी है किन्तु उसे पाने में असमर्थ है। इस पुस्तिका में आपके सामने संछिप्त रूप में इस्लाम धर्म की खूबियों और विशेषताओं से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तत्वों को प्रस्तुत किया जा रहा है। आशा है कि इनके द्वारा आप को इस्लाम धर्म की महानता और विशिष्टता को समझने और फिर उसे ग्रहण करने में सहायता मिले गी।

(अताउर्रहमान ज़ियाउल्लाह)*

*atazia75@gmail.com

इस्लाम धर्म की खूबियाँ

चूँकि इस्लाम धर्म समस्त आसमानी धर्मों में सब से अन्त में उतरने वाला धर्म है इसलिए आवश्यक था कि वह ऐसी विशेषताओं और खूबियों पर आधारित हो जिनके द्वारा वह पिछले धर्मों से श्रेष्ठतम और उत्तम हो और इन विशेषताओं के कारणवश वह क़ियामत आने तक हर समय और स्थान के लिए योग्य हो, तथा इन खूबियों और विशेषताअें के द्वारा मानवता के लिए दोनों संसार में सौभाग्य को साकार कर सके।

इन्हीं विशेषताओं और अच्छाईयों में से निम्नलिखित बातें हैं :

- इस्लाम के नुसूस (मूलग्रंथ) इस तत्व को बयान करने में स्पष्ट हैं कि अल्लाह के निकट धर्म केवल एक है और अल्लाह तआला ने नूह अलैहिस्सलाम से लेकर मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम तक सभी पैग़म्बरों को एक दूसरे का पूरक बनाकर भेजा, आप सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम का फरमान है : ‘‘मेरी मिसाल और मुझ से पहले पैग़म्बरों की मिसाल उस

आदमी के समान है जिस ने एक घर बनाया और उसे संवारा और संपूर्ण किया, किन्तु उस के एक कोने में एक ईंट की जगह छोड़ दी। चुनाँचि लोग उस का तवाफ -परिक्रमा- करने लगे और उस भवन पर आश्चर्य चकित होते और कहतेः तुम ने एक ईट यहाँ क्यों न रख दी कि तेरा भवन संपूर्ण हो जाता? आप सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फरमायाः तो वह ईंट मैं ही हूँ, और मैं खातमुन्नबीईन (अन्तिम नबी) हूँ।" (सहीह बुखारी ३/१३०० हदीस नं. :३३४२)

किन्तु अन्तिम काल में ईसा अलैहिस्सलाम उतरें गे और धरती को न्याय से भर देंगे जिस प्रकार कि यह अन्याय और अत्याचार से भरी हुई है, परन्तु वह किसी नये धर्म के साथ नहीं आएं गे बल्कि उसी इस्लाम धर्म के अनुसार लोगों में फैसला (शासन) करें गे जो मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम पर उतरा है, क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम का फरमान है : "क़ियामत क़ायम नहीं होगी यहाँ तक कि तुम्हारे बीच इब्ने मर्यम न्यायपूर्ण न्यायाधीश बन कर उतरें गे, और सलीब को तोड़ें गे, सुवर को क़त्ल करें गे, जिज़्या को समाप्त करें गे, और माल की

बाहुल्यता हो जाए गी यहाँ तक कि कोई उसे स्वीकार नहीं करे गा।" (सहीह बुखारी २/८७५ हदीस नं. :२३४४)

चुनाँचि सभी पैग़म्बरों की दावत अल्लाह सुब्हानहु व तआला की वह्दानियत (एकेश्वरवाद) और किसी भी साझीदार, समकक्ष और समानतर से उसे पवित्र समझने की ओर दावत देने पर एकमत है, तथा अल्लाह और उसके बन्दों के बीच बिना किसी माध्यम के सीधे उसकी उपासना करना, और माानव आत्मा को सभ्य बनाने और उसके सुधार और लोक-परलोक में उसके सौभाग्य की ओर रहनुमाई करना, अल्लाह तआला का फरमान है :

"उस ने तुम्हारे लिए धर्म का वही रास्ता निर्धारित किया है जिस को अपनाने का नूह को आदेश दिया था और जिसकी (ऐ मुहम्मद!) हम ने तुम्हारी ओर वह्य भेजी है और जिसका इब्राहीम, मूसा और ईसा को हुक्म दिया था (वह यह) कि दीन को क़ायम रखना और उस में फूट न डालना।" (सूरतुश्शूरा :१३)

✸ अल्लाह तआला ने इस्लाम के द्वारा पिछले सभी धर्मों को निरस्त कर दिया, अतः वह सब से अन्तिम धर्म

और सब धर्मों का समाप्ति कर्ता है। अल्लाह तआला इस बात को स्वीकार नहीं करे गा कि इस्लाम के सिवाय किसी अन्य धर्म के द्वारा उसकी उपासना की जाए, अल्लाह तआला का फरमान है :

"और हम ने आप की ओर सच्चाई से भरी यह किताब उतारी है, जो अपने से पहले किताबों की पुष्टि करती है और उनकी मुहाफिज़ है।" (सूरतुल मायदा :४८)

चूँकि इस्लाम सबसे अन्तिम आसमानी धर्म है, इसलिए अल्लाह तआला ने क़ियामत के दिन तक इसकी सुरक्षा की ज़िम्मेदारी उठाई, जबकि इस से पूर्व धर्मों का मामला इसके विपरीत था जिनकी सुरक्षा की ज़िम्मेदारी अल्लाह तआला ने नहीं उठाई थी; क्योंकि वे एक विशिष्ट समय और विशिष्ट समुदाय के लिए अवतरित किए गये थे, अल्लाह तआला का फरमान है :

"निःसन्देह हम ने ही इस क़ुर्आन को उतारा है और हम ही इसकी सुरक्षा करने वाले हैं।" (सूरतुल हिज्र :९)

इस आयत का तक़ाज़ा यह है कि इस्लाम के पैग़म्बर मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम अन्तिम पैग़म्बर हों जिनके बाद कोई अन्य नबी व रसूल न भेजा जाए, जैसाकि अल्लाह तआला का फरमान है :

"मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम तुम्हारे मर्दों में से किसी के बाप नहीं हैं, किन्तु आप अल्लाह के सन्देष्टा और खातमुल-अंबिया -अन्तिम ईश्दूत- हैं।" (सूरतुल अहज़ाबः४०)

इस का यह अर्थ नहीं है कि पिछले पैग़म्बरों और और किताबों की पुष्टि न की जाए और उन पर ईमान न रखा जाए। बल्कि ईसा अलैहिस्सलाम, मूसा अलैहिस्सलाम के दीन के पूरक हैं और मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम, ईसा अलैहिस्सलाम के दीन के पूरक हैं, और मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम पर नबियों और रसूलों की कड़ी समाप्त हो गई, और मुसलमान को आप से पहले के सभी पैग़म्बरों और किताबों पर ईमान रखने का हुक्म दिया गया है, अतः जो व्यक्ति उन पर या उन में से किसी एक पर ईमान न रखे तो उसने कुफ्र किया और इस्लाम धर्म से बाहर निकल गया, अल्लाह तआला का फरमान है :

"जो लोग अल्लाह और उसके रसूलों पर ईमान नहीं रखते हैं और चाहते हैं कि अल्लाह और उसके रसूलों के बीच अलगाव करें और कहते हैं कि हम कुछ को मानते हैं और कुछ को नहीं मानते और इस के बीच रास्ता बनाना चाहते हैं। यक़ीन करो कि यह सभी लोग असली काफिर हैं।" (सूरतुन्निसा :१५०-१५१)

✸ इस्लाम धर्म ने अपने से पूर्व शरीअतों (धर्म-शास्त्रों) को सम्पूर्ण और संपन्न कर दिया है, इस से पूर्व की शरीअतें आत्मिक सिद्धान्तों पर आधारित थीं जो नफ्स को सम्बोधित करती थीं और उसके सुधार और पवित्रता की आग्रह करती थीं और सांसारिक और आर्थिक मामलों की सुधार करने वाली समस्त चीज़ों पर कोई रहनुमाई नहीं करती थीं, इसके विपरीत इस्लाम ने जीवन के समस्त छेत्रों को संगठित और सम्पूर्ण कर दिया है और दीन व दुनिया के सभी मामलों को सम्मिलित है, अल्लाह तआला का फरमान है :

"आज मैं ने तुम्हारे लिये तुम्हारे दीन को पूरा कर दिया, और तुम पर अपनी ने'मतें पूरी कर दीं और

तुम्हारे लिए इस्लाम धर्म को पसन्द कर लिया।'' (सूरतुल मायदा :३)

इसीलिए इस्लाम सर्वश्रेष्ठ और सब से अफज़ल धर्म है, अल्लाह तआला का फरमान है :

''तुम सब से अच्छी उम्मत हो जो लोगों के लिए पैदा की गई है कि तुम नेक कामों का हुक्म देते हो और बुरे कामों से रोकते हो, और अल्लाह पर ईमान रखते हो। अगर अहले किताब ईमान लाते तो उनके लिए बेहतर होता, उन में ईमान वाले भी हैं, लेकिन अधिकतर लोग फ़ासिक़ हैं।'' (सूरत आल-इमरान :११०)

✸ इस्लाम धर्म एक विश्व व्यापी धर्म है जो बिना किसी अपवाद के प्रत्येक समय और स्थान में सर्व मानव के लिए है, किसी विशिष्ट जाति, या सम्प्रदाय, या समुदाय या समय काल के लिए नहीं उतरा है। इस्लाम एक ऐसा धर्म है जिस में सभी लोग संयुक्त हैं, किन्तु रंग, या भाषा, या वंश, या छेत्र, या समय, या स्थान के आधार पर नहीं, बल्कि एक सुनिश्चित आस्था (अक़ीदा) के आधार पर जो सब को एक साथ मिलाए हुए है। अतः जो भी व्यक्ति अल्लाह को अपना रब (पालनहार) मानते हुए, इस्लाम को अपना

धर्म और मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम को अपना पैग़म्बर मानते हुए ईमान लाया तो वह इस्लाम के झण्डे के नीचे आ गया, चाहे वह किसी भी समय काल या किसी भी स्थान पर हो, अल्लाह तआला का फरमान है :

"हम ने आप को समस्त मानव जाति के लिए शुभ सूचना देने वाला तथा डराने वाला बनाकर भेजा है।" (सूरत सबा :२८)

अल्बत्ता इस से पूर्व जो संदेश्वाहक गुज़रे हैं, वे विशिष्ट रूप से अपने समुदायों की ओर भेजे जाते थे, जैसाकि अल्लाह तआला का फरमान है :

"हम ने नूह को उनकी क़ौम की ओर भेजा।" (सूरतुल आराफ :५९)

तथा अल्लाह तआल ने फरमाया :

"तथा हम ने आ'द की ओर उनके भाई हूद को भेजा, तो उन्हों ने कहा : ऐ मेरी क़ौम अल्लाह की उपासना करो, उसके सिवाय तुम्हारा कोई सच्च मा'बूद (पूज्य) नहीं।" (सूरतुल आराफ :६०)

तथा अल्लाह तआला ने फरमाया : "तथा समूद की ओर उनके भाई सालेह को भेजा, तो उन्हों ने कहा :

ऐ मेरी क़ौम! अल्लाह की उपासना करो, उसके सिवाय तुम्हारा कोई सच्चा मा'बूद नहीं।'' (सूरतुल आराफ :७३)

तथा अल्लाह तआला ने फरमाया :

''और लूत को (याद करो) जब उन्हों ने अपनी क़ौम से कहा।'' (सूरतुल आराफ :८०)

तथा अल्लाह तआला ने फरमाया :

''और मद्यन की ओर उनके भाई शुऐब को (भेजा)।'' (सूरतुल आराफ :८५)

तथा अल्लाह तआला ने फरमाया :

''फिर हम ने उनके बाद मूसा को अपनी आयतों के साथ फिर्औन और उसकी क़ौम की ओर भेजा।'' (सूरतुल आराफ :१०२)

तथा अल्लाह तआला ने फरमाया :

''-और उस समय को याद करो- जब ईसा बिन मर्यम ने कहा : ऐ इस्राईल के बेटो ! मै तुम्हारी ओर अल्लाह का पैग़म्बर हूँ, अपने से पूर्व तौरात की पुष्टि करने वाला हूँ..।''

इस्लाम के विश्व व्यापी धर्म होने और उसकी दावत के हर समय और स्थान पर समस्त मानव जाति की ओर सम्बोधित होने के कारण मुसलमानों को इस संदेश का प्रसार करने और उसे लोगों के सम्मुख प्रस्तुत करने का आदेश दिया गया है, अल्लाह तआला ने फरमाया :

"और हम ने इसी तरह तुम्हें बीच की (संतुलित) उम्मत बनाया है, ताकि तुम लोगों पर गवाह हो जाओ और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम तुम पर गवाह हो जाएं।" (सूरतुल बक़रा :१४३)

✸ इस्लाम धर्म के नियम (शास्त्र) और उसकी शिक्षाएं रब्बानी (ईश्वरीय) और स्थिर (अटल) हैं उनमें परिवर्तन और बदलाव का समावेश नहीं है, वे किसी मानव की बनाई हुई नहीं हैं जिन में कमी और गलती, तथा उस से घिरी हुए प्रभाविक चीज़ों; सभ्यता, वरासत, वातावरण से प्रभावित होने की सम्भावाना रहती है। और इसका हम दैनिक जीवन में मुशाहदा करते हैं, चुनाँचि हम देखते हैं कि मानव संविधानों और नियमों में स्थिरता नहीं पाई जाती है और उनमें से जो एक समाज के लिए उपयुक्त हैं वही दूसरे समाज में अनुप्युक्त साबति होते हैं, तथा

जो एक समय काल के लिए उप्युक्त हैं वही दूसरे समय काल में अनुप्युक्त होते हैं। उदाहरण के तौर पर पूँजीवाद समाज के नियम और संविधान, साम्यवादी समाज के अनुकूल नहीं होते, और इसी प्रकार इसका विप्रीत क्रम भी है। क्योंकि हर संविधान रचयिता अपनी प्रवृत्तियों और झुकाव के अनुरूप क़ानून बनाता है, जिनकी अस्थिरता के अतिरिक्त, उस से बढ़कर और अधिकतर ज्ञान और सभ्यता वाला व्यक्ति आता है और उसका विरोध करता, या उसमें कमी करता, या उसमे बढ़ोतरी करता है। परन्तु इस्लामी धर्म-शास्त्र जैसाकि हम ने उल्लेख किया कि वह ईश्वरीय है जिसका रचयिता सर्व सृष्टि का सृष्टा और रचयिता है जो अपनी सृष्टि के अनुरूप चीज़ों और उनके मामलों को संवारने और स्थापित करने वाली चीज़ों को जानता है। किसी भी मनुष्य को, चाहे उसका पद कितना ही सर्वोच्च क्यों न हो, यह अधिकार नहीं है कि अल्लाह के किसी नियम का विरोध कर सके या उसमें कुछ भी घटा या बढ़ा कर परिवर्तन कर सके, क्योंकि यह सब के लिए अधिकारों की सुरक्षा करता है, अल्लाह तआला का फरमान है : ‘‘क्या यह लोग फिर से जाहिलियत का फैसला चाहते

हैं? और यक़ीन रखने वालों के लिए अल्लाह से बेहतर फैसला करने वाला और हुक्म करने वाला कौन हो सकता है।" (सूरतुल मायदा :५०)

✸ इस्लाम धर्म एक विकासशील धर्म है जो उसे हर समय एंव स्थान के लिए उप्युक्त बना देता है, इस्लाम धर्म अक़ीदा व इबादात जैसे ईमान, नमाज़ और उसकी रक्अतों की संख्या और समय, ज़कात और उसकी मात्रा और जिन चीज़ों में ज़कात अनिवार्य है, रोज़ा और उसका समय, हज्ज और उसका तरीक़ा और समय, हुदूद (धर्म-दण्ड)...इत्यादि के विषय में ऐसे सिद्धान्त, सामान्य नियमों, व्यापक और अटल मूल बातों को लेकर आया है जिन में समय या स्थान के बदलाव से कोई बदलाव नहीं आता है, चुनाँचि जो भी घटनाएं घटती हैं और नयी आवश्यकताएं पेश आती हैं उन्हें क़ुर्आन करीम पर पेश किया जाए गा, उसमें जो चीज़ें मिलें गीं उनके अनुसार कार्य किया जाए गा और उसके अतिरिक्त को छोड़ दिया जाए गा, और अगर उसमें न मिले तो पैग़म्बर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की सहीह हदीसों में तलाश किया जाए गा, उसमें जो मिलेगा उसके अनुसार कार्य किया जाए गा और उसके अतिरिक्त को छोड़ दिया जाए

गा, और अगर उसमें भी न मिले तो हर समय और स्थान पर मौजूद रब्बानी उलमा (धर्म शास्त्री) उसके विषय में विचार और खोज के लिए इज्तिहाद करें गे, जिस में सार्वजनिक हित पाया जाता हो और उनके समय की आवश्यकताओं और समाज के मामलों के उप्युक्त हो, और वह इस प्राकर कि कुर्आन और हदीस की संभावित बातों में गौर करके और नये पेश आने वाले मामलों को कुर्आन और हदीस से बनाए गये क़ानून साज़ी के सामान्य नियमों पर पेश करके, उदाहरण के तौर पर यह नियम कि : (चीज़ों में असल उनका जाईज़ होना है) तथा (हितों की सुरक्षा) का और (आसानी करने तथा तंगी को समाप्त करने) का नियम, तथा (हानि को मिटाने) का नियम, तथा (फसाद -भ्रष्टाचार- की जड़ को काटने) का नियम, तथा यह नियम कि (आवश्यकता पड़ने पर निषिद्ध चीज़ें वैध हो जाती हैं) तथा यह नियम कि (आवश्यकता का ऐतबार आवश्यकता की मात्रा भर ही किया जाए गा), तथा यह नियम कि (लाभ उठाने पर हानि को दूर करने को प्राथमिकता प्राप्त है), तथा यह नियम कि (दो हानिकारक चीज़ों में से कम हानिकारक चीज़ को अपनाया जायेगा) तथा यह नियम

कि (हानि को हानि के द्वारा नहीं दूर किया जाए गा।) तथा यह नियम कि (सामान्य हानि को रोकने के लिए विशिष्ट हानि को सहन किया जाए गा।)... इनके अतिरिक्त अन्य नियम भी हैं। इज्तिहाद से अभिप्राय मन की चाहत और इच्छाओं का पालन नहीं है, बल्कि उसका मक़सद उस चीज़ तक पहुँचना है जिस से मानव का हित और कल्याण हो और साथ ही साथ क़ुर्आन या हदीस से उसका टक्राव या विरोध न होता हो। और यह इस कारण है ताकि इस्लाम हर काल के साथ-साथ क़दम रखे और हर समाज की आवश्यकताओं के साथ चले।

✸ इस्लाम धर्म में उसके नियमों और क़ानूनों के आवेदन में कोई भेदभाव और असमानता नहीं है, सब के सब बराबर हैं, धनी या निर्धन, शरीफ या नीच, राजा या प्रजा, काले या गोरे के बीच कोई अन्तर नहीं, इस शरीअत के लागू करने में सभी एक हैं, चुनाँचि क़ुरैश का ही उदाहरण ले लीजिए जिनके लिए बनू मख्ज़ूम की एक शरीफ महिला का मामला महत्वपूर्ण बन गया, जिसने चोरी की थी, उन्हों ने चाहा कि उस के ऊपर अनिवार्य धार्मिक दण्ड -चोरी के हद- को समाप्त करने के लिए पैग़म्बर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के

पास किसी को मध्यस्थ बनाएं। उन्हों ने आपस में कहा कि इस विषय में अल्लाह के पैग़म्बर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम से कौन बात करे गा? उन्हों ने कहा : अल्लाह के पैग़म्बर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के चहेते उसामा बिन ज़ैद के अतिरिक्त कौन इस की हिम्मत कर सकता है। चुनांचे उन्हें लेकर अल्लाह के पैग़म्बर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के पास आए और उसामा बिन ज़ैद ने इस विषय में आप सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम से बात किया। इस पर अल्लाह के पैग़म्बर का चेहरा बदल गया और आप सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फरमाया : "क्या तुम अल्लाह के एक हद -धार्मिक दण्ड- के विषय में सिफारिश कर रहे हो?"

फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम भाषण देने के लिए खड़े हुए। आप ने फरमाया : "ऐ लोगो ! तुम से पहले जो लोग थे वे इस कारण नष्ट कर दिए गए कि जब उन में कोई शरीफ चोरी करता तो उसे छोड़ देते, और जब उन में कोई कमज़ोर चोरी कर लेता तो उस पर दण्ड लागु करत थे। उस हस्ती की सौगन्ध! जिस के हाथ में मेरी जान है, यदि मुहम्मद की बेटी फातिमा भी चोरी कर ले, तो मैं उस का

हाथ अवश्य काट दूँगा।" (सहीह मुस्लिम ३/१३१५ हदीस नं.:१६८८)

✸ इस्लाम धर्म के स्रोत असली और उसके नुसूस (मूलग्रंथ) कमी व बेशी और परिवर्तन व बदलाव और विरूपण से पवित्र हैं, इस्लामी शरीअत के मूल्य स्रोत यह हैं :

१. कुर्आन करीम २. नबी की सुन्नत (हदीस)

१- कुर्आन करीम जब से मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व सल्ल्म पर उतरा है, उसी समय से लेकर आज हमारे समय तक अपने अक्षरों, आयतों और सूरतों के साथ मौजूद है, उसमें किसी प्रकार की कोई परिवर्तन, विरूपण, कमी और बेशी नहीं हुई है, अल्लाह के पैग़म्बर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने अली, मुआविया, उबै बिन कअब और ज़ैद बिन साबित जैसे बड़े-बड़े सहाबा किराम रज़ियल्लाहु अन्हुम को वह्य के लिखने के लिए नियुक्त कर रखा था, और जब भी कोई आयत उतरती तो इन्हें उस को लिखने का आदेश देते और सूरत में किस स्थान पर लिखी जानी है, उसे भी बता देते थे। चुनाँचि कुर्आन को किताबों में सुरक्षित कर दिया गया और लोगों के सीनों में भी सुरक्षित कर दिया गया। मुसलमान अल्लाह की किताब के बहुत बड़े हरीस (लालसी और

इच्छुक) रहे हैं, चुनाँचि वे उस भलाई और अच्छाई को प्राप्त करने के लिए जिसकी सूचना पैग़म्बर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने अपने निम्न कथन के द्वारा दी है, उसके सीखने और सिखाने की ओर जल्दी करते थे, आप का फरमान है : "तुम में सब से श्रेष्ठ वह है जो कुर्‌आन सीखे और सिखाए।" (सहीह बुखारी ४/१९१९ हदीस नं.:४७३९)

कुर्‌आन की सेवा करने, उसकी देख-रेख करने और उसकी सुरक्षा करने के मार्ग में वो अपने जान व माल की बाज़ी लगा देते थे, इस प्रकार मुसलमान एक पीढ़ी के बाद दूसरी पीढ़ी को उसे पहुँचाते रहे, क्योंकि उसको याद करना और उसकी तिलावत करना अल्लाह की इबादत है, आप सल्लल्लाहु अलैहि व सल्ल्म का फरमान है : "जिसने अल्लाह की किताब का एक अक्षर पढ़ा, उसके लिए उसके बदले एक नेकी है, और नेकी को (कम से कम) उसके दस गुना बढ़ा दिया जाता है, मैं नहीं कहता कि (الم) अलिफ-लाम्मीम एक अक्षर है बल्कि अलिफ एक अक्षर है, मीम एक अक्षर है और लाम एक अक्षर है।" (सुनन तिर्मिज़ी ५/१७५ हदीस नं.:२९१०)

२- नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्ल्म की सुन्नत अर्थात् हदीस शरीफ जो कि इस्लामी क़ानून साज़ी का दूसरा

स्रोत, तथा कुर्आन को स्पष्ट करने वाली और कुरआन करीम के बहुत से अहकाम की व्याख्या करने वाली है, यह भी छेड़छाड़, गढ़ने, और उसमें ऐसी बातें भरने से जो उसमें से नहीं है, सुरक्षित है क्योंकि अल्लाह तआला ने विश्वसनीय और भरोसेमंद आदमियों के द्वारा इस की सुरक्षा की है जिन्हों ने अपने आप को और अपने जीवन को रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्ल्म की हदीसों के अध्ययन और उनकी सनदों और मतनों और उनके सहीह या ज़ईफ होने, उनके राविियों (बयान करने वालों) के हालात और जरह व तादील (भरोसेमंद और विश्वसनीय या अविश्वसनीय होने) में उनकी श्रेणियों का अध्ययन करने में समर्पित कर दिया था। उन्हों ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्ल्म से वर्णित सभी हदीसों को छान डाला और उन्हीं हदीसों को साबित रखा जो प्रमाणित रूप से वर्णित हैं, और वह हमारे पास झूठी हदीसों से खाली और पवित्र होकर पहुँची हैं। जो व्यक्ति उस तरीक़े की जानकारी चाहता है जिस के द्वारा हदीस की सुरक्षा की गई है वह मुस्तलहुल-हदीस (हदीस के सिद्धांतों का विज्ञान) की किताबों को देखे जो विज्ञान हदीस की सेवा के लिए विशिष्ट है; ताकि उसके लिए यह स्पष्ट हो जाए कि पैग़म्बर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम

की जो हदीसें हमारे पास पहुँची हैं उनमें शक करना असम्भव (नामुमकिन) है, तथा उसे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्ल्म की हदीस की सेवा में की जाने वाली प्रयासों की मात्रा का भी पता चल जाए ।

✸ इस्लाम धर्म मूल उत्पत्ति और रचना में समस्त लोगों पुरूष एंव स्त्री, काले एंव गोरे, अरब एंव अजम के बीच बराबरी करता है। चुनाँचि सर्व प्रथम अल्लाह तआला ने प्रथम मनुष्य आदम को पैदा किया और वह सभी मनुष्यों के पिता हैं, फिर उन्हीं से उनकी बीवी (जोड़ी) हव्वा को पैदा किया जो सर्व मानव की माता हैं, फिर उन दोनों से प्रजनन प्रारम्भ हुआ, अतः मूल मानवता में सभी मनुष्य बराबर हैं, अल्लाह तआला का फरमान है :

"ऐ लोगो ! अपने उस पालनहार से डरो जिस ने तुम को एक जान से पैदा किया और उसी से उसकी बीवी को पैदा किया और दोनों से बहुत से मर्द-औरत फैला दिए और उस अल्लाह से डरो जिस के नाम पर एक-दूसरे से माँगते हो और रिश्ता तोड़ने से (भी बचो)।" (सूरतुन-निसा :१)

तथा आप सल्लल्लाहु अलैहि व सल्ल्म ने फरमाया :

"अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ल ने तुम से जाहिलियत के समय काल के घमंड और बाप-दादा पर गर्व को समाप्त कर दिया है, मनुष्य या तो संयमी मोमिन है या बदकार अभागा है, सभी मानव आदम के बेटे हैं और आदम मिट्टी से बने हैं।" (मुस्नद अहमद २/३६१ हदीस नं. :८७२१)

अतः जो भी मनुष्य इस धरती पर पर पैदा हुवा है और भविष्य में पैदा होगा वह आदम ही के वंश और नसल से है, और उन सब का आरम्भ एक ही धर्म और एक ही भाषा के मातहत हुवा था किन्तु वे अपनी बाहुल्यता और अधिकता के साथ-साथ धरती में फैल गए और अनेक भागों और छेत्रों में बिखर गए, चुनाँचि इस फैलाव और बिखराव का प्राकृतिक अपरिहार्य परिणाम यह हुआ कि लोगों की भाषाओं, रंगों और प्रकृतियों में भिन्नता पैदा हो गई, और यह भी उन पर पर्यावरण के प्रभाव का परिहार्य (अनिवार्य) परिणाम है, चुनाँचि इस अंतर और भिन्नता के परिणाम स्वरूप सोच के तरीक़े और जीने के तरीक़े, तथा विश्वासों में भी अंतर पैदा हो गया, अल्लाह तआला का फरमान है :

"और सभी लोग एक ही उम्मत (समुदाय) के थे, फिर उन्हों ने इख्तिलाफ (मतभेद) पैदा किये, और अगर एक

बात न होती जो आप के रब की तरफ़ से मुक़र्रर की जा चुकी है, तो जिस चीज़ में यह इख़्तिलाफ कर रहे हैं उसका पूरी तरह से फैसला हो चुका होता।'' (सूरत यूनुस :१९)

इस्लाम की शिक्षाएँ समस्त लोगों को बराबरी के दरजे में रखती हैं भले ही उनकी लिंग, या रंग, या भाषा, या स्वदेश कुछ भी हो, सब के सब अल्लाह के सामने बराबर हैं, उनके बीच अंतर अल्लाह के क़ानून का पालन करने से दूरी और नज़दीकी की मात्रा में है, अल्लाह तआला का फरमान है :

''हे लोगो! हम ने तुम्हें एक ही मर्द और औरत से पैदा किया है और इसलिए कि तुम आपस में एक-दूसरे को पहचानो, जातियाँ और प्रजातियाँ बना दी हैं, अल्लाह की दृष्टि में तुम सब में वह इज़्ज़त वाला है जो सब से अधिक डरने वाला है।'' (सूरतुल हुजुरात :१३)

इस बराबरी के आधार पर जिसे इस्लाम ने स्वीकार किया है, सभी लोग इस्लामी शरीअत की निगाह में उस आज़ादी में बराबर हैं जो सर्व प्रथम धर्म संहिता से अनुशासित हो, जो उसे पशु समान आज़ादी से निकाल बाहर करता है, इस आज़ादी के आधार पर प्रत्येक आदमी को निम्नलिखित अधिकार प्राप्त हैं :

१.सोच की आज़ादी और राय की आज़ादी : इस्लाम अपने मानने वालों को हक़ बात कहने और अपनी रायों (दृष्टिकोण) के इज़हार पर उभारता है, और यह कि वे हक़ बात कहने में किसी मलामत करने वाले की मलामत से न डरें, आप सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम फरमाते हैं : "सब से श्रेष्ठ जिहाद किसी अत्याचारी बादशाह या अमीर के पास न्याय की बात कहना है।" (सुनन अबू दाऊद ४/१२४ हदीस नं.:४३४४)

सहाबा रज़ियल्लाहु अन्हुम इस सिद्धांत पर अमल करने में पहल करते हैं, चुनाँचि उनमें से एक आदमी उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु अन्हु से कहता है : "ऐ अमीरूल मोमिनीन ! अल्लाह से डरें। इस पर एक दूसरा आदमी एतिराज़ करते हुए कहता है : क्या तू अमीरूल मोमिनीन से अल्लाह से डरने के लिए कह रहा है? तो उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने उस से कहा : उसे छोड़ दो, उसे कहने दो, क्योंकि तुम्हारे अन्दर कोई भलाई नहीं है यदि तुम यह बात हम से न कहो, और अगर हम यह तुम से स्वीकार न करें तो हमारे अन्दर भी कोई भलाई नहीं है।"

तथा एक दूसरे स्थान पर जब अली रज़ियल्लाहु ने अपनी राय से फैसला किया और उमर रज़ियल्लाहु अन्हु से

उसके बारे में पूछा गया जबकि वह अमीरूल मोमिनीन थे तो उन्होंने कहा : "यदि मुझ से पूछा जाता तो मैं इस प्रकार फैसला देता, और जब उन से कहा गया कि उस फैसले को निरस्त करने में आप के सामने क्या रूकावट है जबकि आप अमीरूल मोमिनीन हैं? तो उन्हों ने कहा : अगर यह कुर्आन और हदीस में होता तो मैं इसे निरस्त कर देता, परन्तु वह एक राय है और राय मुश्तरक (संयुक्त) है, और किसी को नहीं पता कि कौन सी राय अल्लाह के निकट सब से ठीक (सत्य) है।"

२. हर एक व्यक्ति के लिए मिलकियत और हलाल कमाई की आज़ादी है, अल्लाह तआला का फरमान है :

"और उस चीज़ की तमन्ना न करो, जिस की वजह से अल्लाह ने तुम में से किसी को किसी पर फज़ीलत दी है, मार्दों का वह भाग है जो उन्हों ने कमाया और औरतों के लिए वह हिस्सा है जो उन्हों ने कमाया।" (सूरतुन-निसा :३२)

३. हर एक के लिए शिक्षा प्राप्त करने और सीखने का अवसर उपलब्ध है, बल्कि इस्लाम ने इसे अनिवार्य चीज़ों में से घोषित किया है, आप सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम फरमाते हैं : "शिक्षा प्राप्त करना हर मुसलमान पर अनिवार्य है।" (सुनन इब्ने माजा १/८१ हदीस नं.:२२४)

४. अल्लाह तआला ने इस संसार में जो भलाईयाँ जमा कर दी हैं शरीअत के नियमानुसार हर एक को उनसे लाभ उठाने का अवसर उपलब्ध है, अल्लाह तआला का फरमान है :

"वह वही है जिस ने तुम्हारे लिए धरती को पस्त (और कोमल) बनाया, ताकि तुम उसके रास्तों पर आना-जाना (आवागमन) करते रहो और उसकी दी हुई जीविका (रोज़ी) को खाओ पियो, उसी की तरफ़ (तुम्हें) जीकर उठ खड़ा होना है।" (सूरतुल मुल्क :१५)

५. हर एक के लिए समाज में नेतृत्व-पद गृहण करने का अवसर उपलब्ध है, इस शर्त के साथ कि उसके अन्दर उसकी पात्रता, क्षमता और दीक्षता मौजूद हो। आप सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फरमाया : "जो आदमी मुसलमानों के किसी भी मामले का ज़िम्मेदार बना फिर पक्षपात करते हुए किसी को उन पर अमीर बना दिया तो उस पर अल्लाह की ला'नत (धिक्कार) है, अल्लाह उसके किसी फर्ज़ और ऐच्छिक काम को स्वीकार नहीं करेगा यहाँ तक कि उसे जहन्नम में डाल देगा, और जिस ने किसी को अल्लाह का पनाह (शरण) दिया, फिर उस ने अल्लाह की पनाह में कुछ उल्लंघन किया, तो उस पर अल्लाह की ला'नत है, या आप ने यह फरमाया कि उस

से अल्लाह का ज़िम्मा समाप्त हो गया।" (मुसनद अहमद १/६ हदीस नं.:२१)

इस्लाम ने किसी भी मामले की ज़िम्मेदारी किसी अयोग्य व्यक्ति को सौंपने को अमानत को नष्ट करना शुमार किया है जो इस संसार के बर्बाद हो जाने और क़ियामत क़ायम होने का सूचक है, आप सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम का फरमान है : "जब अमानत नष्ट कर दी जाए तो क़ियामत की प्रतीक्षा करो।" पूछा गया : ऐ अल्लाह के पैग़म्बर उसका नष्ट करना क्या है? आप ने फरमाया : "जब मामले की ज़िम्मेदारी किसी नालायक़ को सौंप दी जाए।" (सहीह बुखारी ५/२३८२ हदीस नं.:६१३१)

✸ इस्लाम धर्म में कोई स्थायी रूहानी (आत्मिक) प्रभुत्त्व नहीं है जिस प्रकार कि अन्य धर्मों में धर्म-गुरूओं को अधिकार प्रदान किया जाता है, क्योंकि इस्लाम ने आकर उन सभी मध्यस्थों को नष्ट कर दिया है जो अल्लाह और उसके बन्दों के बीच स्थापित किए जाते थे, चुनाँचि मुश्रिकों की इबादत के अन्दर मध्यस्थ बनाने पर निंदा की है, अल्लाह तआला ने उनकी बातों का उल्लेख करते हुए फरमाया :

"सुनो! अल्लाह ही के लिए ख़ालिस दीन (इबादत करना) है और जिन लोगों ने उसके सिवाय औलिया

बना रखे हैं (और कहते हैं) कि हम उनकी इबादत केवल इसलिए करते हैं कि यह (बुज़ुर्ग) अल्लाह के क़रीब हम को पहुँचा दें।'' (सूरतुज़्ज़ुमर :३)

अल्लाह सुब्हानहु तआला ने इन वास्तों (मध्यस्थों) की हक़ीक़त को स्पष्ट किया है कि ये लाभ और हानि नहीं पहुँचाते हैं और यह उन्हें किसी भी चीज़ से बेनियाज़ नहीं कर सकते, बल्कि यह भी उन्हीं के समान अल्लाह की मख्लूक़ हैं, अल्लाह तआला का फरमान है :

''हक़ीक़त में तुम अल्लाह को छोड़ कर जिन्हें पुकारते (इबादत करते) हो वह भी तुम ही जैसे बन्दे हैं, तो तुम उन को पुकारो, फिर उनको चाहिए कि वह तुम्हारा कहना कर दें, अगर तुम सच्चे हो।'' (सूरतुल आराफ :१९४)

चुनाँचि इस्लाम ने अल्लाह और उसके बन्दों के बीच सीधे संपर्क की धारणा स्थापित की जो अल्लाह पर विश्वास रखने और आवश्यकताओं की पूर्ति में केवल उसी का सहारा लेने, तथा बिना किसी मध्यस्थ के सीधा उसी से क्षमा चाहने और मदद मांगने पर आधारित है, अतः जिस ने कोई गुनाह कर लिया उसे उसी की ओर अपने हाथ उठाने चाहिए और केवल

उसी से रोना-गिड़गिड़ाना चाहिए और उसी से बख्शिश गांगना चाहिए, चाहे आदमी किसी भी स्थान पर हो और किसी भी अवस्था में हो, अल्लाह तआला फरमाता है :

"और जो भी कोई बुराई करे या खुद अपने ऊपर जुल्म करे, फिर अल्लाह से माफी माँगे तो अल्लाह को बख्शने वाला, रहम करने वाला पाये गा। (सूरतुन-निसाः ११०)

अतः इस्लाम में ऐसे धर्म-गुरू नही हैं जो किसी चीज़ को हलाल या हराम ठहराने और लोगों को क्षमा प्रदान करने का अधिकार रखते हों, और अपने आप को अल्लाह का उसके बन्दों पर वकील (प्रतिनिधि) समझते हों, और उनके लिए शरई हुक्म जारी करते हों, उनके के श्रद्धाओं को सुझाव देते हों, उन्हें क्षमा करते हों, और जिन्हें चाहें जन्नत में प्रवेश दिलाएं और जिन्हें चाहें उस से वंचित कर दें, क्योंकि क़ानू साज़ी और शरई हुक्म जारी करने का अधिकार केवल अल्लाह के लिए है, पैग़म्बर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम, अल्लाह तआला के फरमान : ("उन लोगों ने अल्लाह को छोड़ कर अपने आलिमों और धर्माचारियों को रब बनाया है।" (सूरतुत-तौबा :३१))

के बारे में फरमाते हैं: "वो लोग इनकी पूजा नहीं करते थे, किन्तु जब ये लोग उनके लिए कोई चीज़ हलाल ठहरा देते थे तो वो इसे हलाल समझते थे और जब ये उन पर कोई चीज़ हराम ठहरा देते तो वो लोग इसे हराम समझते।" (सुनन तिर्मिज़ी ५/२७८ हदीस नं.:३०६५)

✸ इस्लाम धर्म धार्मिक और दुनियावी, आंतरिक और बाहरी समस्त मामलों में मश्वरा करने का धर्म है, अल्लाह तआला का फरमान है:

"और जो लोग अपने रब के हुक्म को स्वीकार करते हैं, और नमाज़ को पाबंदी से क़ायम करते हैं और उनका हर काम आपसी राय- मश्वरा से होता है, और जो कुछ हम ने उन्हें प्रदान किया है उस में से (हमारे नाम पर) देते हैं।" (सूरतुश्शूरा :३८)

मश्वरा करना इस्लामी शरीअत में एक मौलिक उद्देश्य है, इसीलिए इस्लाम के पैग़म्बर को व्यवाहारिक रूप से इसके अनुप्रयोग करने का आदेश दिया गया है, अल्लाह तआला का फरमान है :

"अल्लाह की रहमत की वजह से आप उन के लिए कोमल बन गए हैं और अगर आप बदज़ुबान और

कठोर दिल होते तो यह सब आप के पास से भाग खड़े होते, इसलिए आप उन्हें माफ करें, और उनके लिए क्षमा-याचना करें और काम का मश्वरा उन से किया करें।'' (सूरत आल-इमरान :१५९)

मश्वरा के द्वारा उचित फैसले तक पहुँचा जा सकता और सब से लाभप्रद स्थिति को प्राप्त किया जा सकता है। जब मुसलमान इस्लाम के प्रारम्भिक दिनों में अपने दीनी और दुनियावी मामलों में इस सिद्धांत का अनुपालन करने वाले थे तो उनके मामले ठीक-ठाक और उनकी स्थितियाँ उच्च और ऊँची थीं, और जब वे इस सिद्धांत से फिर गए, तो अपने दीनी और दुनियावी मामलों में गिरावट को पहुँच गए।

✸ इस्लाम धर्म ने लोगों के लिए उनके विभिन्न स्तरों पर कुछ अधिकार निर्धारित किए हैं, ताकि उनके लिए रहन-सहन और सुपरिचय सम्पूर्ण हो सके, और उनके लिए दीनी लाभ प्राप्त हो सकें, और उनके दुनियावी मामले ठीक हो सकें, चुनाँचि माँ-बाप के कुछ अधिकार हैं, बच्चों के कुछ अधिकार हैं, और रिश्तेदारों के कुछ हुकूक़ हैं, पड़ोसियों के भी कुछ हुकूक़ हैं तथा साथियों के कुछ हुकूक़ हैं...इत्यादि, अल्लाह तआला का फरमान है :

''अल्लाह की इबादत करो और उसके साथ किसी को साझी न ठहराओ, और माँ-बाप के साथ भलाई करो, तथा रिश्तेदारों, यतीमों, मिसकीनों, रिश्तेदार पड़ोसियों, दूर के पड़ोसियों और पहलू के साथी, मुसाफिर और लौंडियों के साथ (भी भलाई करो) अल्लाह तआला घमंडी, अभिमानी और गर्व करने वाले को पसंद नहीं करता।''

तथा आप सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम का फरमान है :

''आपस में एक दूसरे से हसद न रखो, एक दूसरे के मोल-भाव पर मोल-भाव न करो, एक दूसरे से पीठ न फेरो, और तुम में से कोई एक दूसरे के सौदे पर सौदा न करे, और ऐ अल्लाह के बन्दो! आपस में भाई-भाई बन जाओ, मुसलमान, मुसलमान का भाई है, वह उस पर अत्याचार नहीं करता, उस की मदद करना नहीं छोड़ता, उसे तुच्छ नहीं समझता, तक़्वा यहाँ पर है और आप ने अपने सीने की ओर तीन बार संकेत किया, आदमी की बुराई के लिए इतना ही काफी है कि वह अपने मुसलमान भाई को तुच्छ समझे, हर मुसलमान का दूसरे मुसलमान पर उसका खून, उसका धन और इज़्ज़त हराम है।'' (सहीह मुस्लिम /१९८६ हदीस नं.:२५६४)

तथा आप सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फरमाया : "तुम में से कोई भी आदमी उस समय तक मोमिन नहीं हो सकता यहाँ तक कि वह अपने भाई के लिए भी वही चीज़ पसंद करे जो अपने लिए पसंद करता है।" (सहीह बुखारी १/१४ हदीस नं. :१३)

यहाँ तक कि इस्लाम के दुश्मनों के भी हुक़ूक़ हैं, चुनाँचि यह मुस्अब् बिन उमैर के भाई अबू अज़ीज़ बिन उमैर कहते हैं कि मैं बद्र के दिन बंदियों में से था, तो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फरमाया : "बंदियों के साथ भलाई करने की मेरे वसीयत स्वीकार करो", वह कहते हैं कि मैं अन्सार के कुछ लोगों के पास था, और जब वो लोग दूपहर और रात का खाना पेश करते तो वो स्वयं तो खजूर खाते थे और पैग़म्बर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की वसीयत के कारण मुझे रोटी खिलाते थे। (अल-मो'जमुस्सग़ीर १/२५० हदीस नं.: ४०६)

बल्कि इस्लाम ने इस से भी आगे बढ़ते हुए जानवरों को भी हुक़ूक़ प्रदान किए हैं और उसकी रक्षा की है, आप सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फरमाया : "जिसने बेकार में किसी गौरय्ये को मार डाला तो वह क़ियामत के दिन अल्लाह तआला से चिल्ला कर कहे गी : ऐ मेरे रब ! फलाँ ने मुझे बेकार में क़त्ल कर दिया था, उसने किसी

लाभ के लिए मुझे नहीं मारा था।" (सहीह इब्ने हिब्बान १३/२१४ हदीस नं.: ५८६४)

इब्ने उमर रज़ियल्लाहु अन्हुमा से रिवायत है कि वह कुरैश के कुछ किशोरों के पास से गुज़रे जो एक पंछी को बाँध कर उस पर निशाना साध रहे थे और उनका जो तीर निशाना से चूक जाता था उसे पंछी के मालिक के लिए निर्धारित कर दिया था, जब उन्हों ने इब्ने उमर को देखा तो वो बिखर गए, इब्ने उमर ने कहा : यह किसने किया है? ऐसा करने वाले पर अल्लाह का धिक्कार हो, अल्लाह के पैग़म्बर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने उस व्यक्ति पर धिक्कार भेजा है जिसने किसी जानदार चीज़ पर निशाना साधा।" (सहीह मुस्लिम ३/१५५० हदीस नं. :१९५८)

तथा आप सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम जब एक ऊँट के पास से गुज़रे जिसका पेट भूख के कारण उसकी पीठ से मिल गया था, तो फरमाया : " इन गूँगे चौपायों के बारे में अल्लाह से डरो, उचित ढंग से इन पर सवार हो और उचित ढंग से इन्हें खाओ।" (सहीह इब्ने खुज़ैमा ४/१४३ हदीस नं.:२५४५)

इस्लाम ने व्यक्ति के ऊपर समूह के कुछ अधिकार और समूह के ऊपर व्यक्ति के कुछ अधिकार निर्धारित किए

हैं, चुनाँचि व्यक्ति, समूह के हित के लिए काम करता है और समूह व्यक्ति के हित के लिए काम करता है, आप सल्लल्लाहु अलैहि व सल्ल्म का फरमान है : "एक मोमिन दूसरे मोमिन के लिए एक दीवार के समान है जिसका एक हिस्सा दूसरे हिस्सा को शक्ति पहुँचाता है।" और आप ने अपने एक हाथ की अंगुलियों को दूसरे हाथ की अंगुलियों में दाखिल किया। (सहीह बुखारी १/१८२ हदीस नं.:४६७)

जब व्याक्ति और समूह के हितों के बीच टकराव पैदा हो जाए तो समूह के हित को व्यक्ति के हित पर प्राथमिकता दी जाए गी, जैसे कि गिरने के कगार पर पहुँचे हुए घर को गुज़रने वालों पर भय के कारण ध्वस्त कर देना, सार्वजनिक हित के लिए घर से सड़क के लिए हिस्सा निकालना (उसका मुआवज़ा देने के बाद), समुरह बिन जुन्दुब रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि एक अन्सारी आदमी के बाग में उनका खजूर का एक पेड़ था, वह कहते हैं : उस अन्सारी आदमी के साथ उसकी बीवी बच्चे भी थे, समुरह बिन जुन्दुब अपने खजूर के पास जाते तो उसे तकलीफ और परेशानी होती थी, चुनाँचि उसने समुरह रज़ियल्लाहु अन्हु से उसे बेच देने की मांग की, उन्हों ने इस से इन्कार कर दिया तो यह मांग की

कि उसके बदले दूसरे स्थान पर ले लें, किन्तु उन्हों ने इस से भी इन्कार कर दिया, तो वह अन्सारी सहाबी पैग़म्बर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्ल्म के पास आए और आप से इस बात का उल्लेख किया। पैग़म्बर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्ल्म ने उनसे उस पेड़ को बेच देने का मुतालबा किया, पर उन्हों ने इन्कार कर दिया, तो आप ने उसके बदले में दूसरे स्थान पर (खजूर का पेड़) ले लेने के लिए कहा, पर उन्हों ने स्वीकार नहीं किया। कहते हैं कि फिर आप ने फरमाया : अच्छा तो तुम इसे मुझे हिबा (बख्शीश) कर दो और तुम्हार लिए इतना इतना पुण्य है, आप सल्लल्लाहु अलैहि व सल्ल्म ने उन्हें रूचि दिलाने के लिए यह बात कही, किन्तु उन्हों ने इसे भी नकार दिया, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि व सल्ल्म ने फरमाया : "तुम लोगों को हानि पहुँचाने वाले आदमी हो।" फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि व सल्ल्म ने अन्सारी आदमी से कहा : "जाओ और उसके खजूर के पेड़ को उखाड़ दो।" (सुनन कुब्रा लिल-बैहक़ी ६/१५७ हदीस नं.:११६६३)

✸ इस्लाम दया, करूणा और मेहरबानी का धर्म है जिसने अपनी शिक्षाओं में क्रूरता और सख्ती को त्यागने की दावत दी है, आप सल्लल्लाहु अलैहि व सल्ल्म का

फरमान है : "दया करने वालों पर अति दयालू अल्लाह तबारका व तआला दया करता है, तुम धरती वालों पर दया करो, आकाश वाला तुम पर दया करे गा।" (सहीह सुनन तिर्मिज़ी)

तथा फरमाया : "जो दया नहीं करता उस पर दया नहीं की जाती।" (बुखारी व मुस्लिम)

इस्लाम ने केवल मनुष्यों पर दया और करूणा करने की दावत नहीं दी है, बल्कि यह इस से भी अधिक सामान्य है तथा जानवरों तक को भी सम्मिलित है, चुनाँचि इसी के कारण एक महिला नरक में दाखिल होगई, आप सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम का फरमान है : "एक औरत को एक बिल्ली के कारण यातना -सज़ा- मिली, जिसे उस ने क़ैद कर दिया था यहाँ तक कि वह मर गई, जिस के कारण वह नरक में दाखिल हुई। जब उसने उसे बंद कर दिया तो उसे न खिलाया न पिलाया, और न ही उसे छोड़ा कि ज़मीन के कीड़े-मकोड़े खा सके।" (सहीह बुखारी ३/१२८४ हदीस नं.:३२९५)

ज्ञात हुवा कि जानवरों पर दया करना गुनाहों के क्षमा हो जाने और जन्नत में जाने का कारण है : पैग़म्बर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फरमायाः

"एक आदमी रस्ते में चल रहा था कि वह सख्त प्यासा हो गया, उसे एक कुंआ मिला, चुनाँचे वह उस में उतर गया और पानी पी कर बाहर निकल आया। सहसा उसे एक कुत्ता दिखाई दिया जो हाँप रहा था और प्यास से कीचड़ खा रहा था। उस आदमी ने कहाः इस कुत्ते को वैसे ही प्यास लगी है जैसे मेरा प्यास से बुरा हाल था। चुनाँचे वह कुंवे में उतरा, अपने चमड़े के मोज़े में पानी भरा फिर उसे अपने मुँह से पकड़ लिया यहाँ तक कि ऊपर चढ़ गया और कुत्ते को सेराब किया। अल्लाह तआला ने उस के इस प्रयास को स्वीकार कर लिया और उसे क्षमा कर दिया।" सहाबा ने कहाः ऐ अल्लाह के पैग़म्बर! इन चौपायों में भी हमारे लिए अज्र व सवाब है? आप सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फरमायाः "हर जानदार कलेजे में अज्र (पुण्य) है।" (सहीह बुखारी २/८७० हदीस नं.:२३३४)

जब जानवरों पर इस्लाम की दया का यह हाल है तो फिर मुनष्यों पर उसकी दया के बारे में आप का क्या विचार है जिसे अल्लाह तआला ने समस्त सृष्टि पर

प्रतिष्ठा और विशेषता प्रदान किया है और उसे सम्मान दिया है, अल्लाह तआला का फरमान है : "और निःसन्देह हम ने आदम की सन्तान को बड़ा सम्मान दिया, और उन्हें थल और जल की सवारियाँ दीं, और उन्हें पाक चीज़ों से रोज़ी दिया और अपनी बहुत सी मख़्लूक़ पर उन्हें फज़ीलत (प्रतिष्ठा) प्रदान की।" (सूरतुल इस्रा :७०)

✸ इस्लाम धर्म में रहबानियत, बैराग, ब्रह्मचर्य, दुनिया को त्यागना और उन पवित्र चीज़ों से लाभान्वित होना छोड़ देना जिन्हें अल्लाह तआला ने अपने बन्दों के लिए पैदा किया और हलाल ठहराया है, वैध नहीं है, पैग़म्बर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फरमायाः "अपने ऊपर सख्ती न करो कि तुम्हारे ऊपर (अल्लाह की ओर से) सख्ती की जाने लेग, क्योंकि कुछ लोगों ने अपने ऊपर सख्तियाँ कीं तो अल्लाह ने उनके ऊपर सख्ती कर दी, चुनाँचि पादरियों (राहिबों) की कुटियों और उपासना स्थलों में उन्हीं की अवशेष चीज़ें हैं, (जैसाकि अल्लाह तआला का फरमान है) : "हाँ बैराग तो उन्हों ने स्वयं पैदा कर लिया था, हम ने उन पर फर्ज़ नहीं किया था।" .. (सुनन अबू दाऊद ४/२७६ हदीस नं.:४९०४)

तथा पैग़म्बर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम का फरमान है : "बिना फ़ुजूल-खर्ची और गर्व व घमण्ड के खाओ, पियो, और सद्क़ा व खैरात करो, क्योंकि अल्लाह तआला अपने बन्दों पर अपनी नेमतों का चिन्ह देखना चाहता है।" (मुस्तदरक लिल-हाकिम ४/१५० हदीस नं.: ७१८८)

इसी प्रकार इस्लाम दुनिया और उसके आनंदों, शहवतों और लज़्ज़तो में बिना किसी नियंत्रण के लिप्त हो जाने का नाम नहीं है बल्कि वह एक मध्यम और संयम धर्म है जिसने दीन और दुनिया की आवश्यकताओं को एक साथ ध्यान में रखा है, एक पक्ष दूसरे पक्ष पर भारी नहीं होता, इस्लाम ने आत्मा और शरीर के बीच तुलना करने का आदेश दिया है, चुनाँचि जब एक मुसलमान दुनिया के मामलों में लिप्त हो तो उस समय उसे अपनी आत्मिक आवश्यकताओं को याद कर अपने ऊपर अल्लाह की ओर से अनिवार्य इबादतों को याद करने का आदेश दिया है, अल्लाह तआला का फरमान है :

"हे वो लोगो जो ईमान लाये हो! जुमुआ के दिन नमाज़ की अज़ान दी जाये तो तुम अल्लाह की याद की तरफ जल्द आ जाया करो और क्रय-विक्रय

(ख़रीद-फरोख्त) छोड़ दो, यह तुम्हारे लिए बहुत अच्छा है अगर तुम जानते हो।'' (सूरतुल जुमुआ :९)

तथा जब वह इबादत में व्यस्त हो तो उस समय उसे अपनी भौतिक आवश्यकताओं जैसेकि जीविका कमाना आदि को ध्यान में रखने का आदेश दिया है, जैसाकि अल्लाह तआला का फरमान है:

''फिर जब नमाज़ हो जाए, तो धरती पर फैल जाओ और अल्लाह की कृपा (फ़ज़्ल) को खोजो।'' (सूरतुल जुमुआ :१०)

तथा इस्लाम ने उस व्यक्ति की प्रशंसा की है जिस के अन्दर यह दोनों खूबियाँ एक साथ पाई जायें, अल्लाह तआला का फरमान है :

''ऐसे लोग जिन्हें तिजारत और खरीद व फरोख्त अल्लाह के ज़िक्र से और नमाज़ क़ायम करने और ज़कात अदा करने से गाफिल नहीं करती, उस दिन से डरते हैं जिस दिन बहुत से दिल और बहुत सी आँखें उलट-पलट हो जायेंगी।'' (सूरतुन्नूर :३७)

इस्लाम ने ऐसा दस्तूर प्रस्तुत किया है जो ईश्वरीय शास्त्र के अनुसार आत्मा, शरीर, और बुद्धि के अधिकारों की सुरक्षा करता है, जिस में कोई कमी

और अतिशयोक्ति नहीं है, चुनाँचि जहाँ एक ओर मुसलमान इस बात का बाध्य है कि अपनी आत्मा का निरीक्षण करे और उसकी कृत्यों, कामों और उस की सभी हरकतों का हिसाब करता रहे, अल्लाह तआला के इस फरमान पर अमल करते हुए :

"तो जिस ने कण के बराबर भी पुण्य किया होगा वह उसे देख लेगा, और जिसने एक कण के बराबर भी पाप किया होगा, वह उसे देख लेगा।" (सूरतुज़ ज़िल्ज़ाल :७-८)

उसे यह भी चाहिए कि अल्लाह तआला ने उसके लिए जो पाक चीज़ें हलाल कर दी हैं उन से लाभान्वित होने से अपने शरीर को वंचित न कर दे, जैसे खान-पान, पहनावा, शादी-विवाह आदि, अल्लाह तआला के इस कथन पर अमल करते हुए :

"(हे रसूल!) आप कहिए कि उस ज़ीनत को किसने हराम किया है जिसे अल्लाह ने अपने बन्दों के लिए पैदा किया है, और पाक रोज़ी को।" (सूरतुल आराफ : ३२)

तथा इस्लाम ने केवल उसी चीज़ को हराम और निषिध घोषित किया है जो अपवित्र (गन्दी) और

मनुष्य के लिए उसकी बुद्धि, या शरीर, या धन, या उसके समाज के प्रति हानिकारक हैं, इस्लामी दृष्टिकोण से अल्लाह तआला ने मानव आत्मा को अपनी उपसाना और अपनी शरी'अत को लागू करने के लिए पैदा किया और धरती पर उसे प्रतिनिधि बनाया है, अतः किसी को भी इस्लाम के अधिकार के बिना उस (आत्मा) को नष्ट करने या समाप्त करने का कोई अधिकार नहीं है। तथा अल्लाह तआला ने इस आत्मा के लिए एक संपूर्ण व्यवस्थित शरीर बनाया है ताकि उस शरीर के माध्यम से आत्मा उस काम को संपन्न कर सके जिसको अदा करने का अल्लाह तआला ने उसे आदेश दिया है अर्थात् उपासना, हुक़ूक़, दायित्व, तथा उस धरती का निर्माण जिस पर अल्लाह तआला ने उसे प्रतिनिधि बनाया है, अल्लाह तआला का फरमान है :

"बेशक हम ने इंसान को बहुत अच्छे रूप में पैदा किया।" (सूरतुत्तीन : ४)

इसी कारण अल्लाह तआला ने शरई नियमानुसार इस शरीर की रक्षा करने और उसका ध्यान रखने का आदेश दिया है , और वह निम्नलिखित चीज़ों की पाबन्दी करके :

१. पाकी और पवित्रता प्राप्त करना, जैसाकि अल्लाह तआला का फरमान है :

"अल्लाह माफी मांगने वाले को और पाक रहने वाले को पसंद करता है।" (सूरतुल बक़रा :२२२)

चुनाँचे नमाज़ जिसे मुसलमान दिन और रात में पाँच बार अदा करता है, उसके शुद्ध होने की शर्तों में से एक शर्त वुज़ू को क़रार दिया है, पैग़म्बर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फरमाया : "बिना तहारत (वुज़ू) के नमाज़ स्वीकार नहीं होती, और न ही गनीमत के माल में से खियानत करके किया गया दान क़बूल होता है।" (सहीह मुस्लिम १/२०४ हदीस नं.:२०४)

तथा जनाबत के बाद पानी के द्वारा ग़ुस्ल करना अनिवार्य कर दिया है जैसाकि अल्लाह तआला का फरमान है :

"और अगर तुम नापाक हो तो ग़ुस्ल कर लो।" (सूरतुल मायेदा :६)

तथा कुछ इबादतों के लिए स्नान करना सुन्नते मुअक्किदा क़रार दिया है जैसे, जुमा और ईदैन की नमाज़, हज्ज और उम्रा ... इत्यादि।

२. सफाई-सुथराई का ध्यान रखना, और वह इस प्रकार से किः

❖ खाना खाने से पहले और बाद में दोनों हाथों को धोना, जैसाकि अल्लाह के पैग़म्बर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम का फरमान है : "खाने की बरकत खाने से पहले और उसके बाद वुज़ू करना है।" (सुनन तिर्मिज़ी ४/२८१ हदीस नं.:१८५६)

❖ खाने के बाद मुँह साफ करना, आप सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम का फरमान है : "जिसने खाना खाया तो जो चीज़ वह अपनी ज़ुबान से चबाए और फिराये उसे निगल जाए, और जो चीज़ खिलाल करे उसे थूक दे, जिसने ऐसा किया उसने अच्छा किया और जिसने नहीं किया उस पर कोई हरज नहीं।" (मुस्तदरक हाकिम ४/१५२ हदीस नं.:७१६६)

❖ दाँतो और मुँह की सफाई का ध्यान रखना, चुनाँचे इस पर ज़ोर दिया गया है, आप सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम का फरमान है : "अगर मुझे यह डर न होता कि मेरी उम्मत कष्ट में पड़ जाये गी तो मैं उन्हें हर नमाज़ के समय मिस्वाक करने

का हुक्म देता।" (सहीह मुस्लिम १/२२० हदीस नं.:२५२)

❖ जिस चीज़ के कीटाणुओं और गंदगियों का कारण बनने की सम्भावना हो उसका निवारण करना और उसकी सफाई-सुथराई करना, आप सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम का फरमान है : "पाँच चीज़ें प्राकृतिक परंपराओं (या पैग़म्बरो की परंपराओं) में से हैं : खत्ना कराना, नाफ के नीचे के बालों की सफाई करना, बगल के बालों को उखाड़ना, मोंछ काटना, नाखून काटना।" (सहीह बुखारी ५/२३२० हदीस नं.:५९३९)

३. हर पाकीज़ा और अच्छी चीज़ का खान-पान करना, अल्लाह तआला का फरमान है :

"ऐ ईमान वालो ! जो पाक चीज़ें हम ने तुम्हें अता की हैं, उन्हें खाओ-पियो और अल्लाह के शुक्रगुज़ार रहो, अगर तुम केवल उसी की इबादत करते हो।" (सूरतुल बक़रा : १७२)

तथा इन पाक चीज़ों से लाभान्वित होने के लिए एक नियम निर्धारित किया है और वह है फुजूल-खर्ची से बचना, जिसका शरीर पर कुप्रभाव और हानि किसी

के लिए गुप्त चीज़ नहीं है। अल्लाह तआला ने फरमाया :

"खाओ-पियो और इस्राफ (फ़ुजूलखर्ची) न करो, बेशक जो इस्राफ करते हैं अल्लाह तआला उन से महब्बत नहीं करता।" (सूरतुल आराफ : ३१)

खान-पान का सर्वोत्तम ढंग पैग़म्बर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने अपने इस कथन के द्वारा स्पष्ट किया है कि : "किसी मानव ने पेट से बुरा कोई बरतन नहीं भरा, ऐ आदम के पुत्र! तेरे लिए चन्द लुक़मे काफी हैं जिनसे तेरी पीठ सीधी रह सके, अगर अधिक खाना आवश्यक ही है तो एक तिहाई (पेट) खाना के लिए, एक तिहाई पानी के लिए और एक तिहाई साँस लेने के लिए होना चाहिए।" (सहीह इब्ने हिब्बान १२/४१ हदीस नं.: ४२३६)

४. प्रत्येक खबीस (यानी अपवित्र और हानिकारक) खान-पान की चीज़ों का प्रयोग हराम घोषित किया है, जैसेकि मुरदार (मृत) खून, सुवर का गोश्त, मदिरा, घूम्रपान, और नशीली पदार्थ, यह सब कुछ इस शरीर की रक्षा के लिए है, अल्लाह तआला का फरमान है :

"तुम पर मुर्दार और (बहा हुआ) खून, सुवर का गोश्त और हर वह चीज़ जिस पर अल्लाह के नाम के सिवाय दूसरों के नाम पुकारे जायें हराम है, लेकिन जो मजबूर हो जाए और वह सीमा उल्लंघन करने वाला और ज़ालिम न हो, उसको उन को खाने में कोई गुनाह नहीं, अल्लाह तआला बख्शने वाला रहम करने वाला है।" (सूरतुल बक़रा : १७३)

तथा अल्लाह तआला का फरमान है :

"ऐ ईमान वालो ! शराब, जुआ, और मूर्तियों की जगह, और पाँसे, गन्दे शैतानी काम हैं, इसलिए तुम इस से अलग रहो ताकि कामयाब हो जाओ। शैतान चाहता ही है कि शराब और जुआ द्वारा तुम्हारे बीच दुशमनी डाल दे और तुम्हें अल्लाह की याद और नमाज़ से रोक दे तो तुम रूकते हो या नहीं।" (सूरतुल माईदा :९०-९१)

५. लाभदायक खेल खेलना, जैसे कि कुश्ती (दंगल), चुनाँचे पैग़म्बर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने रकाना नामी पहल्वान से कुश्ती किया और उसे पछाड़ दिया। (मुस्तदरक लिल-हाकिम ३/५११ हदीस नं.:५९०३) तथा दौड़ का मुक़ाबला करना, आईशा रज़ियल्लाहु अन्हा कहती हैं कि पैग़म्बर सल्लल्लाहु

अलैहि व सल्लम ने मुझ से दौड़ का मुक़ाबला किया तो मैं आप से जीत गई, फिर हम कुछ दिनों तक ठहरे रहे यहाँ तक कि गोश्त चढ़ने से मेरा शरीर भारी हो गया तो फिर आप ने मेरे साथ दौड़ का मुक़ाबला किया तो आप मुझ से जीत गये। इस पर नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने कहा कि "यह जीत उस हार के बदले है।" (अर्थात् मुक़ाबला का परिणाम बराबर हो गया।) (सहीह इब्ने हिब्बान १०/५४५ हदीस नं. :४६६१)

इसी तरह तैराकी, तीरअंदाज़ी और घुड़सवारी, जैसाकि पैग़म्बर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के द्वितीय खलीफा अमीरूल मोमिनीन उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु अन्हु से उनका यह कथन वर्णित है : "अपने बच्चों को तीर चलाना, तैराकी और घुड़सवारी सिखाओ।"

६. जब शरीर रोग ग्रस्त हो जाए तो उसका इलाज करना, पैग़म्बर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम फरमाते हैं : "अल्लाह तआला ने रोग और दवा दोनों उतारी है और रोग की दवा बनाई है, अतः दवा-इलाज करो और हराम चीज़ के द्वारा इलाज

न करो।" (सुनन अबू दाऊद ४/७ हदीस नं. :३८७४)

७. उसे उन उपासनाओं के करने का आदेश दिया जिनका अल्लाह तआला ने हुक्म दिया है, जो कि दरअसल आत्मिक खूराक हैं ताकि आत्मा उस परेशानी से सुरक्षित रहे जो उसके शरीर पर प्रभाव डालते हैं, और वह बीमार हो जाता है, अल्लाह तआला का फरमान है :

"जो लोग ईमान लाए और उनके दिल अल्लाह को याद करने से शान्ति प्राप्त करते हैं, याद रखो कि अल्लाह की याद से ही दिल को शान्ति मिलती है।" (सूरतुर्र'अद :२८)

इस्लाम ने शरीर का ध्यान न रखने और उसे खूराक और विश्राम का अधिकार न देने तथा उसे उसकी यौन ऊर्जा को शरीअत में वैध तरीक़े में इस्तेमाल करने से वंचित कर देने को शरीअत में निषिद्ध काम में से शुमार किया है, अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि उन्हों ने फरमाया : "तीन लोग नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की इबादत के बारें में पूछने के लिए आप सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की बीवियों के घरों के पास आए, जब उन्हें

बतलाया गया तो गोया उन्हों उसे कम समझा, फिर उन्होंने कहा कि हम नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के मरतबे तक कहाँ पहुँच सकते हैं, अल्लाह तआले ने आप के अगले पिछले सभी गुनाहों को क्षमा कर दिया है। चुनाँचि उन में से एक ने कहा : मैं तो हमेशा रात भर नमाज़ ही पढ़ूँगा। दूसरे ने कहा : मैं ज़िंदगी भर रोज़ा ही रखूंगा, रोज़ा इफ्तार नहीं करूँगा। तीसरे ने कहा : मैं औरतों से अलग-थलग हो जाऊँगा कभी शादी ही नहीं करूँगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम तश्रीफ लाए और फरमाया : "तुम लोगों ने इस-इस तरह की बात कही है, सुनो ! अल्लाह की कसम! मैं तुम में सब से अधिक अल्लाह से डरने वाला और सब से अधिक मुत्तक़ी और परहेज़गार हूँ, किन्तु मैं रोज़ा रखता हूँ और कभी रोज़ा नहीं भी रखता, और मैं (रात को) नमाज़ पढ़ता हूँ और सोता भी हूँ, तथा मैं ने औरतों से शादियाँ भी कर रखी हैं। अतः जो मेरी सुन्नत से मुँह फेरे वह मेरे तरीक़े पर नहीं है।" (सहीह बुखारी ५/१९४९ हदीस नं.:४७७९)

✸ इस्लाम धर्म ज्ञान और जानकारी का धर्म है जिसने शिक्षा प्राप्त करने और दूसरों को शिक्षा देने पर

उभारा और ज़ोर दिया है, जैसाकि अल्लाह तआला का फरमान है :

"बताओ तो आलिम और जाहिल क्या बराबर हो सकते हैं? बेशक नसीहत वही हासिल करते हैं जो अक़्लमंद हों।" (सूरतुज़्ज़ुमर :९)

तथा जहालत (अज्ञानता) और जाहिल लोगों की मज़म्मत की है, अल्लाह तआला का फरमान है :

"(मूसा अलैहिस्सलाम ने) कहा कि मैं ऐसी बे-वक़ूफी से अल्लाह तआला की पनाह लेता हूँ।" (सूरतुल बक़रा : ६७)

चुनाँचे कुछ उलूम (विज्ञान) को हर मुसलमान पर अनिवार्य कर दिया है, और यह वो उलूम हैं जिनके सीखने से मुसलमान अपने दीन और दुनिया के मामलों में बेनियाज़ नहीं हो सकता, और कुछ उलूम फर्ज़े-किफाया हैं कि जिन्हें अगर कुछ लोग सीख लेते हैं तो बाक़ी लोग गुनाह से बच जायें गे, तथा अल्लाह तआला ने हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम को दुनिया की चीज़ो में से इल्म के अतिरिक्त किसी अन्य चीज़ को अधिक से अधिक माँगने का हुक्म नहीं दिया है, अल्लाह तआला का फरमान है :

"और यह कह कि रब ! मेरा इल्म बढ़ा।" (सूरत ताहा :११४)

इस्लाम ने इल्म और उलमा का सम्मान किया है, अल्लाह के पैग़म्बर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम का फरमान है : "वह आदमी मेरी उम्मत से नहीं है जो हमारे बड़ो का आदर न करे, हमारे छोटों पर दया न करे और हमारे आलिमों (धर्म-ज्ञानियों) के हक़ को न पहचाने।" (मुस्नद अहमद ५/३२३ हदीस नं. :२२८०७)

तथा आलिम का एक महान पद और उच्च स्थान निश्चित किया है, आप सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फरमाया : "आलिम को एक इबादतगुज़ार पर ऐसे ही प्रतिष्ठा और फज़ीलत प्राप्त है जिस प्रकार कि मुझे तुम में से एक कमतर आदमी पर फज़ीलत हासिल है।" (सुनन तिर्मिज़ी ५/५० हदीस नं. :२६८५)

इल्म के प्रकाशन व प्रसार और उसके प्राप्त करने पर उभारने के लिए इस्लाम ने ज्ञान प्राप्त करने, उसे सीखने और सिखाने के लिए भागदौड़ करने को उस जिहाद में से गिना है जिस पर आदमी को पुण्य मिलता है, और वह जन्नत तक पहुँचाने वाला मार्ग

है, आप सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फरमाया : "जो आदमी इल्म की खोज में निकलता है वह अल्लाह के रास्ते में होता है यहाँ तक कि वह वापस लौट आए।" (सुनन तिर्मिज़ी ५/२६ हदीस नं.: २६४७)

तथा आप सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फरमाया : "जो आदमी इल्म की खोज में कोई रास्ता चलता है तो अल्लाह तआला उसके फलस्वरूप उसके लिए जन्नत का रास्ता आसान कर देता है, और जिस आदमी को उसका अमल पीछे कर दे उसे उसका हसब व नसब (वंश) आगे नहीं बढ़ा सकता।" (मुसतदरक लिल-हाकिम १/१६५ हदीस नं.: २६६)

इस्लाम ने केवल धार्मिक उलूम को सीखने पर नहीं उभारा है बल्कि संसार के अन्य उलूम (विज्ञान) को सीखने और उनकी जानकारी हासिल करने की मांग की है और उसे उन इबादतों में से गिना है जिन के सीखने पर आदमी को सवाब मिलता है -यानी वह विज्ञान जिनके बारे में हम कह चुके हैं कि उनका सीखना फर्ज़े-किफाया है- और यह इस कारण है कि मानवता को इन विज्ञानों की आवश्यकता है, अल्लाह तआला का फरमान है :

"क्या आप ने इस बात की ओर ध्यान नहीं दिया कि अल्लाह (अताला) ने आकाश से पानी उतारा फिर हम ने उस के द्वारा कई रंगों के फल निकाले, और पहाड़ों के कई हिस्से हैं, सफेद और लाल कि उनके भी रंग कई हैं और बहुत गहरे और काले। और इसी तरह इंसानों और जानवरों और चौपायों में भी कुछ ऐसे हैं कि उन के रंग अलग-अलग हैं, अल्लाह से उस के वही बंदे डरते हैं जो इल्म रखते हैं। हक़ीक़त (वास्तव) में अल्लाह बहुत बड़ा माफ करने वाला है।" (सूरत फातिर :२७-२८)

इन आयतों के अन्दर उचित सोच-विचार का निमन्त्रण दिया गया है जो इस बात को स्वीकारने का आह्वान करता है कि इन चीज़ों का एक उत्पत्तिकर्ता (पैदा करने वाला) है, तथा इस बात का भी आमन्त्रण है कि अल्लाह तआला ने इस ब्रह्मांड में जो चीज़ें रखी हैं उन से लाभ उठाया जाए। तथा इस बात में कोई सन्देह नहीं कि इस आयत में उलमा से मुराद केवल शरीअत (धर्म) के उलमा नहीं हैं, बल्कि दूसरे विज्ञानों से संबंध रखने वाले उलमा (वैज्ञानिक) भी हैं जिन्हें इस बात की क्षमता प्राप्त है कि अल्लाह तआला ने इस संसार में जो भेद (रहस्य) जमा किए

हैं उनको पहचान सकें, उदाहरण के तौर पर बादल कैसे बनते हैं और वर्षा कैसे होती है? इसे कीमिया (रसायन विज्ञान) और फिज़िक्स (भौतिकी) के बिना जाना नहीं जा सकता, पेड़ों, फलों और फसलों को उगाने का ढंग कृषि विज्ञान की जानकारी ही के द्वारा जाना जा सकता है, धरती और पहाड़ों में रंगों के बदलाव को भूविज्ञान की जानकारी के द्वारा ही जान सकते हैं, लोगों के स्वभावों, और उनके विभिन्न प्रजातियों, जानवरों और उनके स्वाभावों को नृविज्ञान की जानकारी के द्वारा ही जान सकते हैं .... इत्यादि।

✸ इस्लाम धर्म आत्म नियंत्रण का धर्म है, जो एक मुसलमान को इस बात पर उभारता है कि वह अपने सभी कृत्यों और कथनों में अल्लाह की प्रसन्नता और खुशी को हासिल करने का प्रयास करता है, और उस को क्रोधित करने वाली चीज़ों को करने से बचाव करता है, क्योंकि वह जानता है कि अल्लाह तआला उसका निरीक्षण कर रहा है और उस पर अवगत है, अतः जिस चीज़ का अल्लाह ने उसे आदेश दिया है, वह उसे करता है और हर उस चीज़ से जिस से उसने रोका है, दूर रहता है। चुनाँचि जब एक

मुसलमान चोरी से बचता है, तो वह उसे अल्लाह के डर से छोड़ता है, सुरक्षा कर्मी के डर से नहीं छोड़ता है, उसका यही मामला अन्य अपराधों के साथ होता है। इस्लाम की शिक्षाएं मुसलमान को इस बात का प्रशिक्षण देती हैं कि उसका प्रोक्ष और प्रत्यक्ष (रहस्य और सार्वजनिक या अन्दर और बाहर) एक जैसा हो, अल्लाह तआला का फरमान है :

''अगर तू ऊँची बात कहे तो वह हर छुपी और छुपी से छुपी चीज़ को अच्छी तरह जानता है।'' (सूरत ताहा :७)

तथा आप सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने एहसान के बारे में फरमाया :

''तुम अल्लाह की इबादत इस प्रकार करो कि गोया तुम उसे देख रहे हो, अगर तुम से ऐसा अनुभव न हो सके तो वह तो निःसन्देह तुम्हें देख (ही) रहा है।'' (सहीह बुखारी 1/27 हदीस नं.:50)

इस्लाम ने आत्म नियंत्रण के सिद्धांत को नियमित करने के लिए निम्नलिखित बातों का पालन किया है :

प्रथम : एक ऐसे पूज्य (परमेश्वर) के वजूद पर विश्वास रखना जो शक्तिवान, अपनी ज़ात और गुणों

में कामिल, और इस ब्रह्मांड में होने वाली चीज़ों को जानने वाला है, अतः वही चीज़ घटती है जो वह चाहता है, अल्लाह तआला का फरमान है :

"वह (अच्छी तरह) जानता है उस चीज़ को जो धरती में जाये और जो उस से निकले, और जो आकाश से नीचे आये और जो कुछ चढ़कर उस में जाये और जहाँ कहीं तुम हो वह तुम्हारे साथ है, और जो कुछ तुम कर रहे हो अल्लाह देख रहा है।" (सूरतुल-हदीद :4)

बल्कि उसका ज्ञान देखी और महसूस की जाने वाली भौतिक चीज़ों से आगे निकल कर दिल के अन्दर खटकने वाली बातों और वसवसों को भी घेरे हुए है, अल्लाह तआला का फरमान है : "हम ने मनुष्य को पैदा किया है और उस के दिल में जो विचार पैदा होते हैं हम उन्हें जानते हैं, और हम उसके प्राणनाणी से भी अधिक क़रीब हैं।" (सूरतुल क़ाफ :16)

दूसरा : मरने के बाद पुनः ज़िन्दा किये जाने और उठाये जाने पर विश्वास रखना, अल्लाह तआला का फरमान है : "...वह तुम सबको ज़रूर क़ियामत के दिन जमा करेगा।" (सूरतुन निसा :87)

तीसरा : इस बात पर विश्वास रखना कि प्रत्येक व्यक्ति का हिसाब व्यक्तिगत रूप से होगा, अल्लाह तआला का फरमान है कि : ''कोई व्यक्ति किसी दूसरे का बोझ नहीं उठाये गा।'' (सूरतुन्नज्म :38)

चुनाँचि हर आदमी अल्लाह के सामने अपने हर छोटे-बड़े और अच्छे-बुरे कामों अैर कथनों पर हिसाब देने का बाध्य है, अतः वह भलाई पर नेकियों के द्वारा और बुराई पर गुनाहों के द्वारा बदला दिया जाये गा, अल्लाह तआला का फरमान है :

''जो व्यक्ति एक कण के बराबर अच्छाई करे गा वह उसे देख लेगा, और जो आदमी एक कण के बराबर बुराई करे गा, वह उसे देख लेगा।'' (सूरतुज़्ज़लूज़ला :7-8)

चौथा : अल्लाह और उसके रसूल की फरमांबरदारी और उनकी महब्बत को उनके सिवाय हर एक पर प्राथमिकता और वरीयता देना, चाहे वह कोई भी हो, अल्लाह तआला का फरमान है : ''आप कह दीजिए कि अगर तुम्हारे बाप, तुम्हारे बेटे और तुम्हारे भाई और तुम्हारी बीवियाँ और तुम्हारे वंश और कमाया हुआ धन और वह तिजारत जिसकी कमी से तुम

डरते हो, और वे घर जिन्हें तुम प्यारा रखते हो (अगर) यह तुम्हें अल्लाह और उसके रसूल और अल्लाह की राह में जिहाद से अधिक प्यारा है, तो तुम इंतिज़ार करो कि अल्लाह अपना अज़ाब ले आए, अल्लाह तआला फासिक़ों को रास्ता नहीं दिखाता है।'' (सूरतुत्तौबा :24)

✸ इस्लाम धर्म में नेकियाँ कई गुना बढ़ा दी जाती हैं, किन्तु बुराईयों का बदला उसी के समान दिया जाता है, अल्लाह तआला का फरमान है : ''जो इंसान अच्छा काम करे गा उसे उसके दस गुना मिलें गे, और जो बुरे काम करे गा उसे उसके बराबर सज़ा मिले गी और उन लोगों पर जुल्म न होगा।'' (सूरतुल अन्आम :160)

इसी तरह इस्लाम लोगों को अच्छी नीयत पर भी सवाब देता है, अगरचे वह उस पर अमल न कर सके, चुनाँचि यदि वह नेकी का इरादा कर ले और उसे न कर सके तो उसके लिए एक नेकी लिखी जाती है, बल्कि मामला इस से भी बढ़कर है, चुनाँचि यदि मुसलमान बुराई का इरादा करे फिर अल्लाह के अज़ाब से डर कर उसे न करे तो अल्लाह तआला उसे इस पर सवाब देता है, क्योंकि उसने इस गुनाह

को अल्लाह के भय से छोड़ दिया, अल्लाह के पैग़म्बर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम फरमाते हैं कि अल्लाह तआला फरमाता है : "जब मेरा बन्दा किसी बुराई का इरादा करे, तो उसे उसके ऊपर गुनाह न लिखो यहाँ तक कि वह उसे कर ले, अगर वह उस गुनाह को कर ले तो उसी के बराबर गुनाह लिखो, और अगर वह उसे मेरी वजह से छोड़ दे तो उसे उसके लिए एक नेकी लिख दो, और जब किसी नेकी का इरादा करे फिर उसे न करे तब भी उसे उसके लिए एक नेकी लिखो, और अगर वह उसे कर ले तो उसे उसके लिए दस गुना से लेकर सात सौ गुना तक लिखो।" (सहीह बुखारी 6/2724 हदीस नं.:7026)

बल्कि इस्लाम में वैध नफसानी शहवतें भी इबादतो में बदल जाती हैं जिन पर मुसलमान को पुण्य मिलता है अगर उसके साथ अच्छी नीयत और अच्छा लक्ष्य (स्वेच्छा) पाया जाता हो, अगर खाने पीने से आदमी की नीयत अपने शरीर और वैध कमाई के लिए कार्य शक्ति की रक्षा करना हो, ताकि अल्लाह तआला ने उसके ऊपर जो इबादत, अपने बीवी बच्चों और अपने मातहत लोगों पर खर्च करना अनिवार्य किया है उसकी अदायगी कर सके तो उसका यह अमल

इबादत समझा जायेगा जिस पर उसे सवाब मिलेगा, आप सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम का फरमान है : "जब आदमी अपनी बीवी (बच्चों) पर अज्र व सवाब की नीयत से खर्च करता है तो यह उसके लिए सद्क़ा होता है।" (सहीह बुखारी 1/30 हदीस नं. :55)

इसी प्रकार आदमी का अपनी बीवी के साथ वैध रूप से अपनी कामवासना पूरी करना, यदि उसके साथ स्वयं अपनी और अपनी बीवी की पाकदामनी और अवैध काम में पड़ने से बचाव करने की नीयत सम्मिलित हो तो उसका यह कार्य इबादत होगा जिस पर पुण्य मिलेगा, अल्लाह के पैग़म्बर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम फरमाते हैं : और तुम्हारे सम्भोग करने में भी सद्क़ा (पुण्य) है, लोगों ने कहाः ऐ अल्लाह के रसूल! हम में से एक व्यक्ति अपने कामवासना की पूर्ति करता है और उसे उसमें पुण्य भी मिलेगा ? आप ने कहाः तुम्हारा क्या विचार है यदि वह अपनी कामवासना को निषिध चीज़ों में पूरा करता ? - अर्थात क्या उसे उस पर पाप मिलता?- इसी प्रकार जब उसने उसे वैध चीज़ों में रखा तो उसे उस पर पुण्य मिलेगा।" (सहीह मुस्लिम 2/697 हदीस नं.:1006)

बल्कि मुसलमान जो भी अमल करता है अगर उसके अन्दर उसकी नीयत अच्छी है तो वह उसके लिए सद्क़ा है, आप सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम फरमाते हैं : "हर मुसलमान पर सद्क़ा व ख़ैरात करना वाजिब है।" पूछा गया : आप बतायें कि अगर उसके पास (सद्क़ा के लिए) कुछ न हो तो? आप ने उत्तर दिया : "अपने हाथ से कार्य करे, जिस से अपने आप को लाभ पहुँचाए और सद्क़ा भी करे।" कहा गया : आप बतायें कि अगर उसके पास इसकी ताक़त न हो? आप ने फरमाया : "किसी परेशान हाल ज़रूरतमंद की सहायता कर दे।" पूछा गया : अगर वह ऐसा न कर सके तो? आप ने फरमाया : "भलाई का हुक्म दे या कहा कि भलाई का काम करे।" लोगों ने कहा : "अगर वह ऐसा न कर सके? आप ने फरमाया : "उसे चाहिए कि बुराई से रूक जाए क्योंकि यह उसके लिए सद्क़ा है।" (सहीह बुखारी 5/2241 हदीस नं.: 5676)

✸ इस्लाम धर्म में सच्ची तौबा करने वाले, अपने गुनाहों पर शर्मिन्दा और दुबारा उस गुनाह की तरफ न पलटने का सुदृढ़ संकल्प करने वाले पापियों के पाप नेकियों में बदल दिये जाते हैं। अल्लाह तआला का फरमान है :

"और जो लोग अल्लाह के साथ किसी दूसरे माबूद को नहीं पुकारते और किसी ऐसे इंसान को जिस का क़त्ल करना अल्लाह तआला ने हराम किया हो, सिवाय हक़ के वह क़त्ल नही करते, न वह बदकार होते हैं और जो कोई यह अमल करे वह अपने ऊपर कड़ी यातना लेगा। उसे क़ियामत के दिन दुगुना अज़ाब दिया जायेगा और वह अपमान और अनादर (रूसवाई) के साथ हमेशा वहीं रहे गा। उन लोगों के सिवाय जो माफी माँग लें और ईमान लायें और नेक काम करें, ऐसे लोगों के गुनाहों को अल्लाह (तआला) नेकी में बदल देता है, अल्लाह तआला बड़ा बख्शने वाला और रहम करने वाला है।" (सूरतुल फ़ुरक़ान :68-70)

यह उन गुनाहों के बारे में है जिन का अल्लाह तआला के हुक़ूक से संबंध है, किन्तु जिन चीज़ों का संबंध लोगों के हुक़ूक़ से है तो उनके हुक़ूक़ को उन्हें लौटाना और उन से माफी मांगना अनिवार्य है।

इस्लामी शरीअत ने गुनाह करने वाले की ज़ेहनियत (मानसिकता) को सम्बोधित किया है और उसके हैरान मन का उपचार किया है, और वह इस प्रकार कि

उसके लिए तौबा का द्वार खोल दिया है ताकि वह गुनाह से रूक जाये, अल्लाह तआला का फरमान है :

"आप कह दीजिए कि ऐ मेरे बन्दों! जिन्हों ने अपनी जानों पर अत्याचार किया है अल्लाह की रहमत से निराश न हो, निःसन्देह अल्लाह तआला सभी गुनाहों को माफ कर देता है।" (सूरतुज़्ज़ुमर :53)

तथा उसके लिए तौबा का मामला सरल कर दिया है जिसमें कोई परेशानी और कष्ट नहीं है। अल्लाह तआला का फरमान है :"और जो भी कोई बुराई करे या खुद अपने ऊपर जुल्म करे, फिर अल्लाह तआला से क्षमा मांगे है तो अल्लाह को बड़ा क्षमाशील और दयावान पाये गा।" (सूरतुन्निसा :110)

यह बातें मुसलमानों के बारे में है, जहाँ तक ग़ैर-मुस्लिमों का संबंध है जो इस्लाम को स्वीकारते हैं, तो उन्हें दोहरा अज्र मिलेगा; एक तो उनके अपने पैग़म्बर पर ईमान लाने के कारण और दूसरा उनके मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम पर ईमान लाने की वजह से, अल्लाह तआला का फरमान है :

"जिसको हम ने इस से पहले अता की वह तो इस पर ईमान रखते हैं, और जब (उसकी आयतें) उनके

सामने पढ़ी जाती हैं तो वे यह कह देते हैं कि इसके हमारे रब की तरफ से होने पर हमारा विश्वास है, हम तो इस से पहले ही मुसलमान हैं। यह अपने किये हुए सब्र के बदले में दो गुने बदले अता किये जायेंगे, यह नेकी से गुनाह को दूर कर देते हैं और हम ने जो इन्हें दे रखा है उस में से देते रहते हैं।''
(सूरतुल क़सस :52-54)

इसके अतिरिक्त अल्लाह तआला उन के इस्लाम से पहले के सभी गुनाहों को मिटा देता है, क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने अम्र बिन आस से जब उन्हों ने आप से इस्लाम पर बै'अत की और अपने गुनाहों के बख्श दिये जाने की शर्त लगाई तो आप ने फरमाया : ''... क्या तुम्हें पता नहीं कि इस्लाम अपने से पूर्व गुनाहों को मिटा देता है..''
(सहीह मुस्लिम 1/112 हदीस नं.:121)

✸ इस्लाम धर्म अपने मानने वालों को इस बात की ज़मानत देता है कि उनके मरने के बाद भी उनकी नेकियाँ जारी रहें गी, और यह उन नेक कामों के द्वारा होगा जो उन्हों ने अपने पीछे छोड़े हैं, जैसाकि आप सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम का फरमान है : ''जब मनुष्य मर जाता है तो उसके अमल का

सिलसिला समाप्त हो जाता है सिवाय तीन चीज़ों के, जारी रहने वाला सद्क़ा व खैरात, ऐसा ज्ञान जिस से लाभ उठाया जाता रहे और नेक औलाद जो उसके लिए दुआ करती रहे।'' (सहीह मुसिलम 3/1255 हदीस नं. 1631)

तथा आप सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम का फरमान है कि : ''जिसने किसी नेकी की तरफ दूसरों को बुलाया तो उसके लिए उसकी पैरवी करने वालों के समान अज्र है, जबकि उनके अज्र में कोई कमी नहीं होगी, और जिसने किसी गुमराही की ओर दावत दी तो उसे उसकी पैरवी करने वालों के समान गुनाह मिले गा जबकि उनके गुनाहों में कोई कमी न होगी।'' (सहीह मुसिलम 4/2060 हदीस नं.: 2674)

यह बात मुसलमान को इस बात पर उभारती है कि वह भलाई का कार्य करके, उसका सहयोग करके, उसकी ओर दावत देकर, तथा फसाद और बिगाड़ के विरूद्ध संघर्ष करके, उससे लोगों को सावधान करके, समाज में बिगाड़ पैदा करने वाली चीज़ों का प्रसार व प्रचार न करके अपने समाज के सुधार का अभिलाषी बने; ताकि वह अपने कर्म-पत्र को गुनाहों से खाली बना सके।

✸ इस्लाम धर्म ने बुद्धि और विचार का सम्मान किया है और उसे प्रयोग में लाने का आमन्त्रण दिया है, अल्लाह तआला ने फरमाया :

"निःसन्देह आसमानों और ज़मीन में ईमान वालों के लिए निशानियाँ हैं, और स्वयं तुम्हारे जन्म में और जानवरों को फैलाने में, यक़ीन रखने वाले समुदाय के लिए बहुत सी निशानियाँ हैं। और रात दिन के बदलने में और जो कुछ जीविका अल्लाह तआला आकाश से उतार करके धरती को उसकी मौत के बाद ज़िन्दा कर देता है, उस में और हवाओं के बदलने में भी उन लोगों के लिए जो अक़्ल रखते हैं निशानियाँ हैं।" (सूरतुल जासिया :3-5)

इसी प्रकार क़ुर्आन की अधिकांश आयतों में बुद्धि को सम्बोधित किया गया है और उसे उकसाया और झंझोड़ा गया है **"क्या ये लोग समझते बूझते नहीं, क्या ये लोग गौर नहीं करते, ये लोग विचार क्यों नहीं करते, क्या ये लोग जानते नहीं...** इत्यादि। किन्तु इस्लाम ने बुद्धि को प्रयोग में लाने के क्षेत्र को भी निर्धारित कर दिया, इसलिए बुद्धि का प्रयोग केवल उन्हीं चीज़ों में किया जाना आवश्यक है जो दृष्टि में आने वाली और महसूस की जाने वाली हैं, जहाँ तक

प्रोक्ष चीज़ों का मामला है जो मानव की भावना शक्ति की पहुँच से बाहर हैं, तो उनमें बुद्धि का इस्तेमाल नहीं किया जाये गा; क्योंकि ऐसी चीज़ों में बुद्धि को लगाना मात्र शक्ति और संघर्ष को ऐसी चीज़ में नष्ट करना है जिसका कोई लाभ नहीं।

इस्लाम के बुद्धि का सम्मान करने का एक उदाहरण यह है कि उसने बुद्धि को इच्छा और इरादा में किसी दूसरे की निर्भरता के बंधन से आज़ाद कर दिया है, इसीलिए उस आदमी की निंदा की है जो बिना ज्ञान के दूसरे का अनुसरण और तक़्लीद करता है, और बिना समझ-बूझ और मार्गदर्शन के दूसरे के पीछे चलता है, और उसके इस कृत्य को दोषपूर्ण ठहराया है, अल्लाह तआला ने फरमाया :

''और उन से जब कभी कहा जाता है कि अल्लाह तआला की उतारी हुई किताब पर अमल करो तो जवाब देते हैं कि हम तो उस रास्ते का पालन करेंगे जिस पर हम ने अपने बुज़ुर्गों (बाप-दादा) को पाया है, जबकि उनके बाप-दादा बेवकूफ और भटके हुए हों।'' (सरतुल बक़रा :170)

✸ इस्लाम धर्म विशुद्ध फित्रत (प्रकृति) का धर्म है जिसका उस मानव प्रकृति से कोई टकराव नहीं है जिस पर अल्लाह तआला ने उसे पैदा किया है, और इसी प्रकृति पर अल्लाह तआला ने सभी लोगों को पैदा किया है, अल्लाह तआला का फरमान है : "यह अल्लाह की वह फित्रत है जिस पर उसने लोगों को पैदा किया है, और अल्लाह की रचना में कोई बदलाव नहीं हो सकता।" (सूरतुर्रूम :३०)

किन्तु इस फित्रत को उसके आस-पास के कारक कभी प्रभावित कर देते हैं, जिसके कारण वह अपनी शुद्ध पटरी से हट जाती है और पथ-भ्रष्ट हो जाती है, आप सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम का फरमान है :

"प्रत्येक पैदा होने वाला -शिशु- (इस्लाम) की फित्रत (प्रकृति) पर जन्म लेता है, फिर उसके माता-पिता उसे यहूदी बना देते हैं या ईसाई बना देते हैं या मजूसी (पारसी) बना देते हैं।" (सहीह बुखारी)

तथा वही सीधे रास्ते का धर्म है, अल्लाह तआला ने फरमाया :

''आप कह दीजिए कि मुझे मेरे रब ने एक सीधा रास्ता बता दिया है कि वह एक मुस्तहकम दीन है जो तरीक़ा है इब्राहीम का, जो अल्लाह की तरफ यकसू थे और वह मुश्रिकों में न थे।'' (सूरतुल अंआम :१६१)

अतः इस्लाम में ऐसी चीज़ नहीं है जिसे बुद्धि स्वीकार न करती हो, बल्कि विशुद्ध बुद्धियाँ इस बात की गवाह हैं कि इस्लाम की लाई हुई बातें सच्ची, उचित और लाभप्रद हैं, चुनाँचे उसके आदेश और प्रतिषेध सब के सब न्यायपूर्ण है उनमें जुल्म नहीं है, उसने जिस चीज़ का भी आदेश दिया है उसके अन्दर मात्र हित और लाभ ही है या हित और लाभ अधिक है, और जिस चीज़ से भी रोका है उसके अन्दर मात्र बुराई ही है या बुराई उसके अन्दर मौजूद अच्छाई से बढ़कर है। कुर्आन की आयतों और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की हदीसों में गौर करने वाले के लिए यह तथ्य कोई रहस्य नहीं है।

- इस्लाम धर्म ने मानवता को अल्लाह के अतिरिक्त किसी अन्य की दासता और उपासना से मुक्त कर दिया है, चाहे वह अल्लाह का भेजा हुआ कोई ईश्दूत या निकटवर्ती फरिश्ता ही क्यों न हो, इस प्रकार कि उसने इन्सान के दिल में ईमान

(विश्वास) को समाविष्ट कर दिया है, अतः अल्लाह के अलावा किसी का कोई भय नहीं और अल्लाह के अतिक्ति कोई लाभ या हानि पहुँचाने वाला नहीं, कोई कितना ही महान क्यों न हो किसी को हानि या लाभ नहीं पहुँचा सकता और किसी से न कोई चीज़ रोक सकता है और न ही प्रदान कर सकता है सिवाय उस चीज़ के जिसका अल्लाह तआला ने फैसला कर दिया हो और उसकी चाहत के अनुसार हो। अल्लाह तआला का फरमान है : ''उन लोगों ने अल्लाह के अतिरिक्त ऐसे पूजा पात्र बना रखे हैं जो किसी चीज़ को पैदा नहीं कर सकते, बल्कि वह स्वयं पैदा किए जाते हैं, यह तो अपने प्राण के लिए हानि और लाभ का भी अधिकार नहीं रखते और न मृत्यु और जीवन के और न पुनः जीवित होने के वह मालिक हैं।'' (सूरतुल-फुर्क़ानः३)

अतः सारा मामला अल्लाह ही के हाथ में है, अल्लाह तआला फरमाता है :

''और अगर तुम को अल्लाह कोई दुख पहुँचाये तो सिवाय उसके कोई दूसरा उस को दूर करने वाला नहीं है, और अगर वह तुम्हें कोई सुख पहुँचाना चाहे तो

उसके फ़ज़्ल को कोई हटाने वाला नहीं, वह अपने फ़ज़्ल को अपने बन्दों में से जिस पर चाहे निछावर कर दे और वह बड़ा बख़्शने वाला और बहुत रहम करने वाला है।'' (सूरत यूनुस :१०७)

जब पैग़म्बर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम का भी, जिनका अल्लाह के यहाँ इतना बड़ा पद और महान स्थान है, वही मामला है जो अन्य लोगों का है तो फिर दूसरे के बारे में आप का क्या विचार है, अल्लाह तआला का फरमान है :

''आप कह दीजिए कि मैं स्वयं अपने नफ्स (आप) के लिए किसी लाभ का अधिकार नहीं रखता और न किसी हानि का, किन्तु उतना ही जितना अल्लाह ने चाहा हो, और यदि मैं प्रोक्ष की बातें जानता होता तो बहुत से लाभ प्राप्त कर लेता और मुझ को कोई हानि न पहुंचती, मैं तो केवल डराने वाला और शुभ सूचना देने वाला हूँ उन लोगों को जो ईमान रखते हैं।'' (सूरतुल-आराफः १८८)

✸ इस्लाम ने मानव जीवन को शोक, चिन्ता, भय और बेचैनी से, उसके कारणों का उपचार करके, मुक्त कर दिया है :

✓ यदि मौत का डर है, तो अल्लाह तआला फरमाता है :

''और बग़ैर हुक्मे ख़ुदा के तो कोई शख़्स मर ही नहीं सकता, वक़्ते मुअय्यन तक हर एक की मौत लिखी हुयी है।'' (सूरत आल इम्रान :१४५)

तथा अल्लाह तआला का फरमान है : ''जब उन का वक़्त आ जाता है तो न एक घड़ी पीछे हट सकते हैं और न आगे बढ़ सकते हैं।'' (यूनुस :४६)

तथा इंसान मौत से भागने का कितना भी प्रयास और संघर्ष कर ले, मौत उसके घात में है, अल्लाह तआला का फरमान है : ''आप कह दीजिए कि जिस मौत से तुम भागते हो वह तुम्हें निःसन्देह आ घमके गी।'' (सूरतुल जुमुआ :८)

✓ यदि गरीबी और भुकमरी का डर है, तो अल्लाह सुब्हानहु व तआला का फरमान है : ''और ज़मीन पर चलने वालों में कोई ऐसा नहीं जिसकी रोज़ी अल्लाह के ज़िम्मे न हो और अल्लाह उनके ठिकाने और (मरने के बाद) उनके

सौंपे जाने की जगह को भी जानता है सब कुछ रौशन किताब (लौहे महफूज़) में मौजूद है।'' (सूरत हूद :६)

- ✓ यादि बीमारियों और मुसीबतों (आपत्तियों) का भय है तो अल्लाह तआला का फरमान है : ''जितनी मुसीबतें रूए ज़मीन पर और ख़ुद तुम लोगों पर नाज़िल होती हैं (वह सब) क़ब्ल इसके कि हम उन्हें पैदा करें किताब (लौह महफूज़) में (लिखी हुयी) हैं बेशक ये अल्लाह पर आसान है। ताकि जब कोई चीज़ तुमसे जाती रहे तो तुम उसका ग़म न किया करो और जब कोई चीज़ (ने'मत) अल्लाह तुमको दे तो उस पर इतराया न करो और अल्लाह किसी इतराने वाले शेख़ी बाज़ को दोस्त नहीं रखता।'' (सूरतुल हदीद :२२-२३)
- ✓ और अगर लोगों का डर है, तो अल्लाह के पैग़म्बर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम का यह फरमान है : ''अल्लाह (के आदेशों) की रक्षा करो, अल्ला तुम्हारी रक्षा करेगा, अल्लाह (के अहकाम) की रक्षा करो, तुम उसे अपने सामने पाओ गे, तुम खुशहाली में अल्लाह को पहचानो, वह तुम्हें संकट की घड़ी में पहचाने

गा, जब मांगों तो अल्लाह ही से मांगो, और जब सहायता मांगो तो अल्लाह ही से सहायता मांगो, जो कुछ होने वाला है उसको क़लम लिख चुका, अगर लोग पूरा प्रयास कर डालें कि तुझे कोई लाभ पहुँचायें जिसे अल्लाह ने तेरे लिए फैसला नहीं किया है तो उनके बस की बात नहीं है, और अगर लोग तुझे किसी ऐसी चीज़ के द्वारा हानि पहुँचाने का लाख प्रयत्न कर डालें जिसे अल्लाह ने तेरे ऊपर नहीं लिखा है, तो वो लोग ऐसा नहीं कर सकते, अगर तुझ से हो सके कि विश्वास के साथ सब्र से काम ले सके तो ऐसा कर डाल, और अगर ऐसा नहीं कर सकता तो सब्र कर, क्योंकि उस चीज़ पर सब्र करने में जिसे तो नापसन्द करता है, बहुत भलाई है, और याद रख कि सब्र के साथ ही मदद है, और यह भी जान ले कि परेशनी के साथ राहत है, और यह भी जान ले कि तंगी के साथ आसानी है।''
(मुसतदरक हाकिम ३/६२३ हदीस नं. ६३०३)

✸ इस्लाम धर्म दीन और दुनिया के सभी मामलों में संतुलित और औसत धर्म है, अल्लाह तआला ने

फरमाया : "और हम ने इसी तरह तुम्हें बीच की (संतुलित) उम्मत बनाया है, ताकि तुम लोगों पर गवाह हो जाओ, और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम तुम पर गवाह हो जायें।" (सूरतुल बक़रा : १४३)

✸ इस्लाम आसानी और सहजता का धर्म है, अल्लाह के पैग़म्बर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम फरमाते हैं कि : "अल्लाह तआला ने मुझे सख्ती करने वाला और कष्ट में डालने वाला बनाकर नहीं भेजा है, बल्कि मुझे आसानी करने वाला शिक्षक बना कर भेजा है।" (सहीह मुस्लिम २/११०४ हदीस नं.:१४७८)

इस्लाम की शिक्षाएं आसानी करने पर उभारती और बल देती हैं, आप सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फरमाया : "शुभ सूचना दो, नफरत न दिलाओं, आसानी करो, कष्ट में न डालो।" (सहीह मुस्लिम ३/१३५८ हदीस नं.:१७३२)

✸ इस्लाम नरमी करने, माफ कर देने और सहनशीलता का धर्म है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की पत्नी आईशा रज़ियल्लाहु अन्हा से रिवायत है वह कहती हैं कि : यहूद की एक जमाअत अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के पास आई,

और उन्हों ने कहा : 'अस्सामो अलैकुम', यानी तुम्हारी मौत आए। आईशा कहती हैं कि मैं इसे समझ गई, और उन्हों ने कहाः 'व अलैकुमुस्सामो वल्ला'नह' यानी तुम्हारी मौत आए और तुम पर धिक्कार हो। वह कहती हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने कहा : "ऐ आईशा! रूक जाओ, अल्लाह तआला सभी मामले में नरमी करने वाले को पसन्द करता है।" तो मैं ने कहा : ऐ अल्लाह के रसूल क्या आप ने नहीं सुना कि उन लोगों ने क्या कहा है? रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फरमाया : "मैं ने उत्तर दिया है कि 'व-अलैकुम' यानी तुम पर भी।" (सहीह बुखारी हदीस नं.:६०२४)

✸ इस्लाम लोगों के लिए भलाई को पसन्द करने का दीन है, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फरमाया : "अल्लाह के निकट सब से अधिक प्रिय व्यक्ति वह है जो लोगों को सब से अधिक लाभ पहुँचाने वाला है, और अल्लाह के निकट सब से अधिकतर पसंदीदा काम यह है कि तुम किसी मुसलमान को खुशी से दो चार कर दो, उस से किसी संकट (परेशानी) को दूर कर दो, या उसके किसी

क़र्ज़ को चुका दो, या उसकी भूख को मिटा दो। तथा मेरा किसी भाई की आवश्यकता में उसके साथ चल कर जाना मेरे निकट इस से अधिक पसंदीदा है कि मैं एक महीना इस मस्जिद (अर्थात् मदीना की मस्जिद) में ऐतिकाफ करूँ, और जो आदमी अपना गुस्सा पी गया, हालाँकि अगर वह उसे नाफिज़ करना चाहता तो कर सकता था, तो अल्लाह तआला क़ियामत के दिन उसके दिल को प्रसन्नता से भर देगा, और जो आदमी अपने भाई के साथ किसी आवश्यकता में चल कर जाए यहाँ तक कि उसकी आवश्यकता पूरी कर दे तो अल्लाह तआला उस दिन उसके क़दम को स्थिर कर (जमा) देगा जिस दिन लोगों के पाँव फिसल (डगमगा) जाएँ गे। तथा दुराचार अमल को ऐसे ही नष्ट कर देता है जैसे सिरका, शहद को नष्ट कर देता है।'' (सहीहुल जामिअ् हदीस नं.:१७६)

✸ इस्लाम मियाना रवी का धर्म है, कट्टरपन और कठिनाई का धर्म नहीं है, अल्लाह तआला का फरमान है : ''अल्लाह तआला किसी प्राणी पर उसकी ताक़त से अधिक बोझ नहीं डालता, जो पुण्य वह करे, वह उसी के लिए है और जो बुराई

वह करे वह उसी के ऊपर है।'' (सूरतुल बक़रा :२८६)

चुनाँचि इस्लाम के आदेश इसी नियम पर आधारित हैं, आप सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम का फरमान है कि : ''मैं तुम्हें जिस चीज़ से रोकूँ उसे से रूक जाओ, और जिस चीज़ का हुकम दूँ उसे अपनी यथाशक्ति अंजाम दो, क्योंकि तुम से पहले के लोगों को अधिक सवाल और अपने पैग़म्बरों से मतभेद ने तबाह कर दिया।'' (सहीह मुस्लिम ४/१८३० हदीस नं.:१८३४)

इसका सब से श्रेष्ठ प्रमाण उस सहाबी का क़िस्सा है जो अल्लाह के पैग़म्बर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के पास आया और कहा : ऐ अल्लाह के रसूल! मेरा सर्वनाश होगया, आप ने पूछाः ''तुझे किस चीज़ ने सर्वनाश कर दिया?'' उसने उत्तर दियाः मैं ने रमज़ान के दिन में रोज़े की हालत में अपनी पत्नी से सम्भोग कर लिया, तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने उसे आदेश दिया कि एक ग़ुलाम (दास या दासी) मुक्त करे, तो उसने कहा कि उसके पास नहीं है, तो आप ने उसे निरंतर दो महीने का रोज़ा रखने का आदेश दिया, तो उसने कहा कि वह इसका सामर्थ्य

नहीं रखता है तो आप ने उसे साठ मिस्कीनों को भोजन कराने का आदेश दिया, तो उसने कहा कि वह इसका भी सामर्थी नहीं है, फिर आदमी बैठ गया, उसी बीच में नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के पास खजूरें आईं, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने उससे कहाः "इसे लेजाकर दान कर दो", किन्तु उस व्यक्ति ने कहाः क्या अपने से भी अधिक दरिद्र पर दान कर दूँ ? अल्लाह की सौगन्ध मदीना की दोनों पहाड़ियों के बीच मुझसे अधिक निर्धन कोई घराना नहीं है, तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फरमायाः "उसे अपने घर वालों को खिला दो।" (सहीह बुखारी २/६८४ हदीस नं.:१८३४)

इस्लाम धर्म के सभी आदेश और उपासनाएं मानव शक्ति के अनुकूल हैं जो उस के ऊपर उसकी शक्ति से बढ़कर किसी चीज़ का भार नहीं डालती हैं, तथा यह भी ज्ञात होना चाहिए कि ये आदेश, इबादतें और अनिवार्यताएं कुछ परिस्थितियों में समाप्त हो जाती हैं, उदाहरण के तौर पर :

☒ नमाज़ के अन्दर अनिवार्य चीज़ों में से यह है कि अगर शक्ति है तो आदमी खड़े होकर नमाज़ पढ़े, किन्तु अगर खड़े होकर पढ़ने से असमर्थ है तो

बैठ कर नमाज़ पढ़े, अगर बैठ कर भी नहीं पढ़ सकता तो लेट कर पढ़े और अगर इसकी भी ताक़त नहीं है तो संकेत से पढ़े।

☒ जिस आदमी के पास निसाब भर धन नहीं है तो उस के ऊपर ज़कात अनिवार्य नहीं है, बल्कि अगर वह गरीब और ज़रूतमंद है तो उसे ज़कात दी जाये गी।

☒ बीमार, मासिक धर्म और प्रसव वाली, तथा गर्भवती महिला से रोज़ा समाप्त हो जाता है। इस में कुछ विस्तार है जिसका यह अवसर नहीं है।

☒ जो आदमी आर्थिक और शारीरिक तौर पर हज्ज की ताक़त नहीं रखता है, उस से हज्ज समाप्त हो जाता है। इसमें भी कुछ विस्तार है जिसके बयान करने का यह अवसर नहीं है, अल्लाह तआला का फरमान है : "लोगों पर अल्लाह के लिए खाना का'बा का हज्ज करना अनिवार्य है उस आदमी के लिए जो वहाँ तक पहुँचने का रास्ता पाता हो।" (सूरत आल-इम्रान :९७)

☒ जिस व्यक्ति को अपनी जान पर भय और खतरा हो, तो वह अपनी जान को बचाने भर के लिए

अल्लाह तआला की हराम की हुई (वर्जित) चीज़ को खा या पी सकता है, जैसे कि मुर्दार, खून, सुवर का गोश्त और शराब। अल्लाह तआला का फरमान है : "पस जो शख़्स मजबूर हो और सरकशी करने वाला और ज़्यादती करने वाला न हो (और उनमे से कोई चीज़ खा ले) तो उसपर गुनाह नहीं है।" (सूरतुल बक़रा : १७३)

✸ इस्लाम धर्म अन्य आसमानी धर्मों का सम्मान करता है और मुसलमानों पर उन पर ईमान रखना आवश्यक क़रार देता है, और उसे इस बात का आदेश देता है कि वह उन रसूलों का आदर-सम्मान करे और उन से महब्बत करे जिन पर वो धर्म अवतरित हुए थे, अल्लाह तआला का फरमान है : "बेशक जो लोग अल्लाह और उसके रसूलों से इन्कार करते हैं और अल्लाह और उसके रसूलों में तफ़रक़ा डालना चाहते हैं और कहते हैं कि हम बाज़ (पैग़म्बरों) पर ईमान लाए हैं और बाज़ का इन्कार करते हैं और चाहते हैं कि इस (कुफ़्र व ईमान) के दरमियान एक दूसरी राह निकालें, यही लोग हक़ीक़तन काफ़िर हैं और हमने काफ़िरों के वास्ते ज़िल्लत देने वाला अज़ाब तैयार कर रखा है।" (सूरतुन्निसा :१५१-१५२)

तथा इस्लाम दूसरों के अक़ीदों, आस्थाओं और मान्यताओं को बुरा कहने से रोकता है, अल्लाह तआला का फरमान है : "और ये (मुशरेकीन) जिन की अल्लाह के सिवा इबादत करते हैं उन्हें तुम बुरा न कहा करो वर्ना ये लोग भी अल्लाह को बिना समझें अदावत से बुरा-भला न कह बैठें।" (सूरतुल अंआम :१०६)

तथा अपने प्रतिरोधियों और विरोधकों से हिकमत और नरमी के साथ बहस करने का हुक्म देता है, अल्लाह तआला का फरमान है : "तुम (लोगों को) अपने परवरदिगार की राह पर हिकमत और अच्छी अच्छी नसीहत के ज़रिए से बुलाओ और उनसे बहस व मुबाहसा इस तरीक़े से करो जो लोगों के नज़दीक सबसे अच्छा हो इसमें शक नहीं कि जो लोग अल्लाह की राह से भटक गए उनको तुम्हारा परवरदिगार खूब जानता है।" (सरतुन नह्ल :१२५)

और ऐसी सार्थक बातचीत की ओर बुलाता है जो ईश्वरीय पाठ्यक्रम पर लोगों को एकजुट करता है, अल्लाह तआला का फरमान है : "(ऐ रसूल!) आप (उनसे) कह दीजिए कि ऐ अहले-किताब तुम ऐसी (ठिकाने की) बात पर तो आओ जो हमारे और

तुम्हारे बीच समान है कि अल्लाह के सिवा किसी की इबादत न करें और किसी चीज़ को उसका शरीक न बनाएं और अल्लाह के सिवा हम में से कोई किसी को अपना परवरदिगार न बनाए, अगर इससे भी मुँह मोड़ें तो तुम गवाह रहना हम (अल्लाह के) फ़रमांबरदार हैं।'' (सूरत आल-इम्रान :६४)

✸ इस्लाम धर्म व्यापक शांति का धर्म है जितना कि यह शब्द अपने अन्दर अर्थ रखता है, चाहे उसका संबंध मुस्लिम समाज के घरेलू स्तर से हो, जैसाकि आप सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम का फरमान है : ''क्या मैं तुम्हें मोमिन के बारे में सूचना न दूँ? जिस से लोग अपने मालों और जानों पर सुरक्षित हों, और मुसलमान वह जिस की जुबान और हाथ से लोग सुरक्षित हों, और मुजाहिद वह है जो अल्लाह की फरमांबरदारी में अपने नफ्स से जिहाद (संघर्ष) करे, और मुहाजिर वह है जो गुनाहों को छोड़ दे।'' (सहीह इब्ने हिब्बान ११/२०३ हदीस नं.:४८६२)

या उसका संबंध वैश्विक स्तर से हो जो मुस्लिम समाज और अन्य समुदायों, विशेषकर वो समाज जो धर्म के साथ खिलवाड़ नहीं करते या उसके प्रकाशन में रूकावट नहीं बनते हैं, के बीच सुरक्षा, स्थिरता

और अनाक्रमण पर आधारित मैत्रीपूर्ण संबंध स्थापित करने पर आधारित हो, अल्लाह तआला का फरमान है : "ऐ ईमान वालों! तुम सबके सब इस्लाम में पूरी तरह दाख़िल हो जाओ और शैतान के क़दम ब क़दम न चलो, वह तुम्हारा यक़ीनन खुला दुश्मन है।" (सूरतुल बक़रा :२०८)

तथा इस्लाम ने शांति को बनाए रखने और उसकी स्थिरता को जारी रखने के लिए अपने मानने वालों को आक्रमण का जवाब देने और अन्याय का विरोध करने का हुक्म दिया है, अल्लाह तआला का फरमान है : "पस जो शख़्स तुम पर ज़्यादती करे तो जैसी ज़्यादती उसने तुम पर की है वैसी ही ज़्यादती तुम भी उस पर करो।" (सूरतुल बक़रा :१९४)

तथा इस्लाम ने शांति को प्रिय रखने के कारण, अपने मानने वालों को युद्ध की अवस्था में, यदि शत्रु संधि की मांग करे, तो उसे स्वीकार कर लेने और लड़ाई बंद कर देने का आदेश दिया है, अल्लाह तआला का फरमान है : "और अगर ये कुफ्फार सुलह की तरफ मायल हों तो तुम भी उसकी तरफ मायल हो और अल्लाह पर भरोसा रखो (क्योंकि) वह बेशक (सब कुछ) सुनता जानता है।" (सूरतुल अनफाल :६१)

इस्लाम अपनी शांति प्रियता के साथ साथ अपने मानने वालों से यह नहीं चाहता है कि वो शांति के रास्ते में अपमानता उठायें या उनकी मर्यादा क्षीण हो, बल्कि उन्हें इस बात का हुक्म देता है कि वह अपनी इज़्ज़त और मर्यादा को सुरक्षित रखने के साथ-साथ शांति को बनाये रखें, अल्लाह तआला का फरमान है कि : "तो तुम हिम्मत न हारो और (दुशमनों को) सुलह की दावत न दो, तुम ग़ालिब हो ही और अल्लाह तो तुम्हारे साथ है और हरगिज़ तुम्हारे आमाल को बरबाद न करेगा।" (सूरत मुहम्मद :३५)

✸ इस्लाम धर्म में इस्लाम स्वीकार करने की बाबत किसी पर कोई ज़ोर-ज़बरदस्ती नहीं है, बल्कि उसका इस्लाम स्वीकारना उसके दृढ़ विश्वास और सन्तुष्टि पर आधारित होना चाहिए। क्योंकि जब्र करना और दबाव बनाना इस्लाम की शिक्षाओं को फैलाने का तरीक़ा नहीं है, अल्लाह तआला का फरमान है : "दीन में किसी तरह की ज़बरदस्ती (दबाव) नहीं क्योंकि हिदायत गुमराही से (अलग) ज़ाहिर हो चुकी है।" (सूरतुल बक़रा :२५६)

जब लोगों तक इस्लाम का निमन्त्रण पहुँच जाये और उसे उनके सामने स्पष्ट कर दिया जाये, तो इसके

बाद उन्हें उसके स्वीकार करने या न करने की आज़ादी है, क्योंकि इस्लाम का मानना यह है कि मनुष्य उसके निमन्त्रण को क़बूल करने या रद्द कर देने के लिए आज़ाद है। अल्लाह तआला का फरमान है : "बस जो चाहे माने और जो चाहे न माने।" (सूरतुल कहफ :२९)

क्योंकि ईमान और हिदायत अल्लाह के हाथ में है, अल्लाह तआला का फरमान है: "और (ऐ पैग़म्बर!) अगर तेरा परवरदिगार चाहता तो जितने लोग ज़मीन पर हैं सबके सब ईमान ले आते तो क्या तुम लोगों पर ज़बरदस्ती करना चाहते हो ताकि सबके सब मोमिन हो जाएँ।" (सूरत यूनुस :९९)

तथा इस्लाम की अच्छाईयों में से यह भी है कि उसने अपने विरोधी अह्ले किताब (यानी यहूदी व ईसाई) को अपने धार्मिक संस्कार को करने की आज़ादी दी है, अबू बक्र रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं : "... तुम्हारा गुज़र ऐसे लोगों से होगा जिन्हों ने अपने आप को कुटियों में तपस्या के लिए अलग-थलग कर लिया होगा, तो तुम उनको और जिस काम में वे लगे हुए होंगे, उसे छोड़ देना।" (तबरी ३/२२६)

तथा उनके धर्म ने उनके लिए जिन चीज़ों का खाना पीना वैध ठहराया है, उन्हें उन चीज़ों के खाने पीने की आज़ादी दी गई है, इसलिए उनके सुवरों को नहीं मारा जायेगा, उनके शराबों को नहीं उंडेला जाये गा, और जहाँ तक नागरिक मामलों का संबंध है जैसे शादी-विवाह, तलाक़, वित्तीय लेनदेन, तो उनके लिए उस चीज़ को अपनाने और लागू करने की आज़ादी है जिस पर वो विश्वास रखते हैं, और इसके लिए कुछ शर्तें और नियम हैं जिसे इस्लाम ने बयान किया है, जिन के उल्लेख करने का यह अवसर नहीं है।

✸ इस्लाम धर्म ने गुलामों (दासों) को आज़ाद कराया है, उनके आज़ाद करने को पुण्य का कार्य घोषित किया है और आज़ाद करने वाले के लिए अज्र व सवाब का वादा किया है, और उसे जन्नत में जाने के कारणों में से क़रार दिया है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फरमाया : "जिस आदमी ने किसी गुलाम को आज़ाद किया तो अल्लाह तआला उसके हर अंग के बदले उसके एक अंग को जहन्नम से मुक्त कर देगा यहाँ तक कि उसकी शरमगाह के बदले उसकी शरमगाह को आज़ाद कर देगा।" (सहीह मुस्लिम २/११४७ हदीस नं.:१५०९)

इस्लाम दासता के सभी तरीक़ों को हराम घोषित करता है, और केवल एक तरीक़ा वैध किया है और वह है युद्ध के अन्दर बंदी बनाने के द्वारा दास बनाना, लेकिन इस शर्त के साथ कि मुसलमानों का खलीफा उन पर दासता का आदेश लगा दे, क्योंकि इस्लाम में बंदियों की कई स्थितियाँ है जिन्हें अल्लाह तआला ने अपने इस कथन के द्वारा बयान किया है : "तो जब तुम काफिरों से भिड़ो तो (उनकी) गर्दनें मारो यहाँ तक कि जब तुम उन्हें ज़ख़्मों से चूर कर डालो तो उनकी मुश्कें कस लो फिर उसके बाद या तो एहसान रख कर या अर्थदण्ड (मुआवज़ा) लेकर छोड़ दो, यहाँ तक कि लड़ाई अपने हथियार रख दे (यानी बंद हो जाए)।" (सूरत मुहम्मद :४)

जहाँ एक तरफ इस्लाम ने दासता के रास्ते तंग कर दिये और उसका केवल एक ही रास्ता बाक़ी छोड़ा, वहीं दूसरी तरफ गुलाम आज़ाद करने के रास्तों में विस्तार किया है, इस प्रकार कि गुलाम को आज़ाद करना मुसलमान से होने वाले कुछ गुनाहों का कफ्फारा बना दिया है, उदाहरण के तौर पर :

☒ गलती से किसी को क़त्ल कर देना, अल्लाह तआला का फरमान है : "और जो आदमी किसी

मुसलमान का क़त्ल चूक से कर दे तो उस पर एक मुसलमान ग़ुलाम (स्त्री या पूरूष) आज़ाद करना और मक़तूल के रिश्तेदारों को खून की क़ीमत देना है। लेकिन यह और बात है कि वह माफ कर दे, और अगर वह मक़तूल तुम्हारे दुश्मन क़ौम से हो और मुसलमान हो तो एक मुसलमान ग़ुलाम आज़ाद करना ज़रूरी है, और अगर मक़तूल उस क़ौम का है जिसके और तुम्हारे (मुसलमानों के) बीच सुलह है तो खून की क़ीमत उसके रिश्तेदारों को अदा करना है, और एक मुसलमान ग़ुलाम आज़ाद करना भी है।'' (सूरतुन्निसा :९२)

☒ क़सम तोड़ने में, जैसाकि अल्लाह तआला का फरमान है : ''अल्लाह तुम्हारे बेकार क़समों (के खाने) पर तो ख़ैर पकड़ न करेगा मगर पक्की क़सम खाने और उसके ख़िलाफ करने पर तो ज़रुर तुम्हारी पकड़ करेगा उसका कफ्फारा (जुर्माना) जैसा तुम खुद अपने अह्ल व अयाल को खिलाते हो उसी क़िस्म का औसत दर्जे का दस मोहताजों को खाना खिलाना या उनको कपड़े

पहनाना या एक गुलाम आज़ाद करना है।'' (सूरतुल माईदा :८९)

☒ ज़िहार (ज़िहार का मतलब है आदमी का अपनी बीवी से कहना :तू मुझ पर मेरी माँ की पीठ की तरह है।), अल्लाह तआला का फरमान है : ''जो लोग अपनी पत्नियों से ज़िहार करें फिर अपनी कही हुई बात को वापस ले लें तो उनके ज़िम्मे आपस में एक दूसरे को हाथ लगाने से पहले एक गर्दन (गुलाम) आज़ाद करना है।'' (सूरतुल मुजादिला :३)

☒ रमज़ान में बीवी से सम्भोग करना, अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि एक आदमी ने रमज़ान में अपनी पत्नी से सहवास कर लिया, फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम से इसका हुक्म पूछा तो आप ने फरमाया : ''क्या तुम एक गुलाम आज़ाद करने की ताक़त रखते हो?'' उसने कहाः नहीं, आप ने पूछा : क्या तुम दो महीना लगातार रोज़ा रख सकते हो? उसने कहा नहीं, आप ने फरमाया : ''तो साठ मिसकीनों को खाना खिलाओ।'' (सहीह मुस्लिम २/७८२ हदीस नं. :१११९)

☒ गुलामों पर ज़ियादती करने का उसे कफ्फारा बनाया है, आप सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फरमाया : "जिस ने अपने किसी गुलाम को थप्पड़ मारा, या उसकी पिटाई की, तो उसका कफ्फारा यह है कि उसे आज़ाद कर दे।" (सहीह मुस्लिम २/१२७८ हदीस नं.:१६५७)

इस्लाम के दासों की मुक्ति का कड़ा समर्थक होने का दृढ़ प्रमाण निम्नलिखित तत्व भी हैं :

१. इस्लाम ने 'मुकातबा' का आदेश दिया है, यह गुलाम और उसके स्वामी के बीच एक इत्तिफाक़ होता है जिस में उसे कुछ धन के बदले आज़ाद करने पर समझौता किया जाता है, कुछ फुक़हा ने इसे, अगर गुलाम इसकी मांग कर रहा है तो, अनिवार्य क़रार दिया है, उनका प्रमाण अल्लाह ताआला का फरमान है : "और तुम्हारी लौन्डी और गुलामों में से जो मुकातब होने (कुछ रुपए की शर्त पर आज़ादी) की इच्छा करें तो तुम अगर उनमें कुछ सलाहियत देखो तो उनको मुकातब कर दो और अल्लाह के माल से जो उसने तुम्हें अता किया है उनको भी दो।" (सूरतुन्नूर :३३)

२. गुलाम आज़ाद करने को उन संसाधनों में से क़रार दिया है जिनमें ज़कात का माल खर्च किया जाता है, और वह गुलामों को गुलामी से और बंदियों को क़ैद से आज़ाद कराना है, क्योंकि अल्लाह तआला का फरमान है : ''ख़ैरात (ज़कात) तो बस फकीरों का हक़ है और मिसकीनों का और उस (ज़कात) के कर्मचारियों का और जिनके दिल परचाये जा रहे हों और गुलाम के आज़ाद करने में और क़र्ज़दारों के लिए और अल्लाह की राह (जिहाद) में और मुसाफिरों के लिए, ये हुकूक़ अल्लाह की तरफ से मुक़र्रर किए हुए हैं और अल्लाह तआला बड़ा जानकार हिकमत वाला है।'' (सूरतुत्तौबा :६०)

✸ इस्लाम धर्म अपनी व्यापकता से जीवन के सभी पहलुओं को घेरे हुए है, चुनाँचि मामलात, युद्ध, विवाह, अर्थ व्यवस्था, राजनीति, और इबादात... के क्षेत्र में ऐसे नियम और कानून प्रस्तुत किए हैं जिस से एक उत्तम आदर्श समाज स्थापित हो सकता है जिसके समान उदाहरण पेश करने से पूरी मानवता भी असमर्थ है, और इन नियमों और क़ानूनों से दूरी के एतिबार से गिरावट आती है, अल्लाह तआला का

फरमान है : "और हमने आप पर किताब (क़ुर्आन) नाज़िल की जिसमें हर चीज़ का (शाफी) बयान है और मुसलमानों के लिए (सरापा) हिदायत और रह्मत और खुशख़बरी है।" (सूरतुन् नह्ल :८९)

✸ इस्लाम ने मुसलमान के संबंध को उसके रब (परमेश्वर), उसके समाज और उसके आस-पास के संसार, चाहे वह मानव संसार हो या पर्यावरण संसार, के साथ व्यवस्थित किया है। इस्लाम की शिक्षाओं में कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिसे शुद्ध फित्रत (प्रकृति) और स्वस्थ बुद्धि नकारती हो, इस सर्वव्यापकता का प्रमाण इस्लाम का उन व्यवहारों और आंशिक चीज़ों का ध्यान रखना है जिन का संबंध लोगों के जीवन से है, जैसे क़ज़ा-ए-हाजत (शौच) के आदाब और मुसलमान को उस से पहले, उसके बीच और उसके बाद क्या करना चाहिए, अब्दुर्रहमान बिन ज़ैद रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं : सलमान फारसी से कहा गया : तुम्हारे नबी तुम्हें हर चीज़ सिखलाते हैं, यहाँ तक कि पेशाब-पाखाना के आदाब भी, सलमान ने जवाब दिया : जी हाँ, आप ने हमें पेशाब या पाखाने के लिए किब्ला की ओर मुँह करने, या दाहिने हाथ से इस्तिंजा करने, या तीन से कम पत्थरों से इस्तिंजा

करने, या गोबर (लीद) या हड्डी से इस्तिंजा करने से रोका है।" (सहीह मुस्लिम १/२२३ हदीस नं.:२६२)

✸ इस्लाम धर्म ने महिला के स्थान को ऊँचा किया है और उसे सम्मान प्रदान किया है, और उसका सम्मान करने को संपूर्ण, श्रेष्ठ और विशुद्ध व्यक्तित्व की पहचान ठहराया है, आप सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम का फरमान है : "सब से अधिक संपूर्ण ईमान वाला आदमी वह है जिसके अख्लाक़ सब से अच्छे हों, और तुम में से सर्व श्रेष्ठ आदमी वह है जो अपनी औरतों के लिए सब से अच्छा हो।" (सहीह इब्ने हिब्बान ६/४८३ हदीस नं.:४१७६)

✸ इस्लाम ने महिला की मानवता की सुरक्षा की है, अतः वह गलती (पाप) का स्रोत नहीं है, न ही वह आदम अलैहिस्सलाम के जन्नत से निकलने का कारण है जैसाकि पिछले धर्मों के गुरू कहते हैं, अल्लाह तआला का फरमान है : "ऐ लोगो! अपने उस पालनहार से डरो जिस ने तुम को एक जान से पैदा किया और उसी से उसकी बीवी को पैदा किया और दोनों से बहुत से मर्द-औरत फैला दिए और उस अल्लाह से डरो जिस के नाम पर एक-दूसरे से माँगते हो और रिश्ता तोड़ने से (भी बचो)।" (सूरतुन-निसा :१)

तथा इस्लाम ने महिलाओं के विषय में जो अन्यायिक क़ानून प्रचलित थे, उन्हें निरस्त कर दिया, विशेष कर जो महिला को पुरूष से कमतर समझा जाता था, जिस के परिणाम स्वरूप उसे बहुत सारे मानवाधिकारों से वंचित होना पड़ता था, अल्लाह के पैग़म्बर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम फरमाते हैं : "महिलाएं, पुरूषों के समान हैं।" (सुनन अबू दाऊद १/६१ हदीस नं.:२३६)

तथा उसके सतीत्व की रक्षा की है और उसके सम्मान की हिफाज़त की है, चुनाँचि उस पर आरोप लगाने और उसके सतीत्व को छति पहुँचाने पर, आरोप का दण्ड लगाने का हुक्म दिया है, अल्लाह तआला ने फरमाया : "और जो लोग पाक दामन औरतों पर (ज़िना का) आरोप लगाएँ फिर (अपने दावे पर) चार गवाह पेश न करें तो उन्हें अस्सी कोड़े मारो और फिर कभी उनकी गवाही क़बूल न करो और (याद रखो कि) ये लोग खुद बदकार हैं।" (सूरतुन्नूर :४)

तथा वरासत में उसके अधिकार की ज़मानत दी है जिस प्रकार कि मर्दों का हक़ है, जबकि इस से पहले वह वरासत से वंचित थी, अल्लाह ताअल का फरमान है: "माँ बाप और क़राबत्दारों के तर्के में कुछ हिस्सा

ख़ास मर्दों का है और उसी तरह माँ बाप और क़राबतदारों के तरके में कुछ हिस्सा ख़ास औरतों का भी है, ख़्वाह तर्का कम हो या ज़्यादा (हर शख़्स का) हिस्सा (हमारी तरफ़ से) मुक़र्रर किया हुआ है।'' (सूरतुन्निसा :७)

तथा उसे पूर्ण योग्यता, आर्थिक मामलों जैसे किसी चीज़ का मालिक बनना, क्रय-विक्रय और इसके समान अन्य मामलों में बिना किसी के निरीक्षण या उसके तसर्रुफात को सीमित किए बिना, उसे तसर्रुफ करने की आज़ादी दी है, सिवाय उस चीज़ के जिस में शरीअत का विरोध हो, अल्लाह तआला का फरमान है: ''ऐ ईमान वालों अपनी पाक कमाई में से ख़र्च करो।'' (सूरतुल बक़रा :२६७)

तथा उसे शिक्षा देने को अनिवार्य किया है, पैग़म्बर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फरमाया : ''इल्म (ज्ञान) को प्राप्त करना हर मुसलमान पर अनिवार्य है।'' (सुनन इब्ने माजा १/८१ हदीस नं.:२२४)

इसी प्रकार उसकी अच्छी तरबियत (प्रशिक्षण) का हुक्म दिया है और उसे जन्नत में जाने का कारण बताया है, आप सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने

फरमाया : "जिसने तीन लड़कियों की किफालत की, फिर उनको प्रशिक्षित किया, उनकी शादियाँ कर दी और उनके साथ अच्छा व्यवहार किया तो उसके लिए जन्नत है।" (सुनन अबू दाऊद ३/३३८ हदीस नं.: ५१४७)

✸ इस्लाम धर्म पवित्रता और सफाई-सुथराई का धर्म है:

1– मा'नवी (आंतरिक) तहारत जैसे कि :

➢ शिर्क से पवित्रता, अल्लाह ताअला का फरमान है: "शिर्क माह पाप है।"

➢ रियाकारी से पवित्रता, अल्लाह तआला का फरमान है कि : "उन नमाज़ियों के लिए अफसोस (और वैल नामी जहन्नम की जगह) है। जो अपनी नमाज़ से ग़ाफिल हैं। जो दिखावे का कार्य करते हैं। और प्रयोग में आने वाली चीज़ें रोकते हैं।" (सूरतुल माऊन)

➢ खुद पसन्दी, अल्लाह ताआला का फरमान है : "और लोगों के सामने (घमण्ड से) अपना मुँह न फुलाना और ज़मीन पर अकड़ कर न चलना क्योंकि अल्लाह किसी अकड़ने वाले और इतराने वाले को दोस्त नहीं रखता, और अपनी चाल-ढाल में मियाना रवी अपनाओ और दूसरों से बोलने में अपनी आवाज़

धीमी रखो क्योंकि आवाज़ों में तो सब से बुरी आवाज़ गधों की है।" (सूरत लुक़मान :१८)

➢ गर्व से पवित्रता, आप सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फरमाया : "जिसने गर्व के कारण अपने कपड़े को घसीटा, अल्लाह तआला क़ियामत के दिन उसकी ओर नहीं देखेगा।" (सहीह बुखारी ३/१३४० हदीस नं. :३४६५)

➢ घमण्ड से पवित्रता, आप सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फरमाया : "जिस आदमी के दिल में एक कण के बराबर भी घमण्ड होगा वह जन्नत में नहीं जाये गा।" एक आदमी ने पूछा : ऐ अल्लाह के पैगम्बर! आदमी पसन्द करता है कि उसके कपड़े अच्छे हों, उसके जूते अच्छे हों, आप ने फरमाया : "अल्लाह तआला जमील (खूबसूरत) है और जमाल (खूबसूरती) को पसन्द करता है, घमण्ड हक़ को अस्वीकार करने और लोगों को तुच्छ समझने को कहते हैं।" (सहीह मुस्लिम १/९३ हदीस नं.:९१)

➢ हसद (डाह, ईर्ष्या) से पवित्रता, आप सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम फरमाते हैं : "लोगो हसद से बचो, क्योंकि हसद नेकियों को ऐसे ही खा जाती है, जैसे

आग लकड़ी को खा जाती है, या आप ने फरमाया : घास-फूस को खा जाती है।''

2– हिस्सी पवित्रता तहारत (गंदगी और नापाकी से शरीर को पवित्र रखना), अल्लाह तआला का फरमान है कि : ''ऐ ईमानदारो! जब तुम नमाज़ के लिये खड़े हो तो अपने मुँह और कोहनियों तक हाथ धो लिया करो और अपने सिर का मसह कर लिया करो और टखनों तक अपने पाँवों को धो लिया करो और अगर तुम हालते जनाबत में हो तो तुम तहारत (गुस्ल) कर लो (हाँ) और अगर तुम बीमार हो या सफ़र में हो या तुम में से कोई पाख़ाना करके आए या औरतों से हमबिस्तरी की हो और तुमको पानी न मिल सके तो पाक मिट्टी से तयम्मुम कर लो यानी (दोनों हाथ धरती पर मारकर) उससे अपने मुँह और अपने हाथों का मसह कर लो, अल्लाह तो ये चाहता ही नहीं कि तुम पर किसी तरह की तंगी करे बल्कि वह यह चाहता है कि तुम्हें पाक व पाकीज़ा कर दे और तुम पर अपनी ने'मतें पूरी कर दे ताकि तुम शुक्रगुज़ार बन जाओ।'' (सूरतुल माईदा :६)

अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फरमाया : यह आयत कुबा वालों के बारे में उतरी : ''उस में ऐसे लोग हैं जो

अधिक पवित्रता को पसंद करते हैं और अल्लाह तआला भी पवित्रता हासलि करने वालों को पसंद करता है।" (सूरतुत्तौबा :१०८) आप ने फरमाया : वो लोग पानी से इस्तिंजा करते थे तो उनके बारे में यह आयत उतरी।" (सुनन तिर्मिज़ी :५/२८० हदीस नं.:३१००)

✸ इस्लाम धर्म आन्तरिक शक्ति वाला धर्म है जो उसे इस बात का सामर्थी बनाता है कि वह दिलों में घर कर जाता है और बुद्धियों पर छा जात है, यही कारण है कि उसे तेज़ी से फैलते हुए और उसे स्वीकार करने वालों की बहुतायत देखने में आती है, जबकि इस मैदान में मुसलमानों की तरफ से खर्च किया जाने वाला भौतिक और आध्यात्मिक सहायता कमज़ोर है, इसके विपरीत इस्लाम के दुश्मन और द्वेषी उसका विरोध करने, उसे बदनाम करने और लोगों को उस से रोकने के लिए भौतिक और मानव संसाधन का प्रयोग कर रहे हैं, किन्तु इन सब के बावजूद लोग इस्लाम में गुट के गुट प्रवेश कर रहे हैं, यदा कदा ही इस्लाम में प्रवेश करने वाला उस से बाहर निकलता है, इस शक्ति का, बहुत से मुस्तशरेक़ीन के इस्लाम में प्रवेश करने का बड़ा प्रभाव रहा है, जिन्हों ने दरअसल इस्लाम का

अध्ययन इस लिए किया था कि उसमें कमज़ोर तत्व खोजें, लेकिन इस्लाम की खूबसूरती, उसके सिद्धांतों की सत्यता और उनका शुद्ध फित्रत और स्वस्थ बुद्धि के अनुकूल होने का उनके जीवन की धारा को मोड़ने और उनके मुसलमान हो जाने में प्रभावकारी रहा। इस्लाम के दुश्मनों ने भी इस बात की शहादत दी है कि वह सत्य धर्म है, उन्हीं में से (Margoliouth) है जो इस्लाम की दुश्मनी में कुख्यात है, किन्तु कुर्आन की महानता ने उसे सच्चाई को कहने पर विवश कर दिया : "रिसर्च करने वालों (अन्वेषकों) का इस बात पर इत्तिफाक़ है कि महान धार्मिक ग्रन्थों में कुर्आन एक स्पष्ट श्रेष्ठ पद रखता है, जबकि वह उन तारीखसाज़ (इतिहास रचनाकार) ग्रन्थों में सब से अन्त में उतरने वाला है, लेकिन मनुष्य पर आश्चर्यजनक प्रभाव छोड़ने में वह सब से आगे है, उसने एक नवीन मानव विचार को अस्तित्व दिया है, और एक उत्कृष्ट नैतिक पाठशाला की नीव रखी है।"

✸ इस्लाम धर्म सामाजिक समतावाद का धर्म है जिसने मुसलमान पर अनिवार्य कर दिया है कि वह अपने मुसलमान भाईयों की स्थितियों का चाहे वे कहीं भी

रहते बसते हों, ध्यान रखे, आप सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम का फरमान है : "मोमिनों का उदाहरण आपस में एक दूसरे से महब्बत करने, एक दूसरे पर दया करने, और एक दूसरे के साथ हमदर्दी और शफक़त करने में, शरीर के समान है कि जब उसका कोई अंग बीमार हो जाता है तो सारा शरीर बेदारी और बुखार के द्वारा उसके साथ होता है।" (बुखारी व मुस्लिम)

तथा मुसीबतों और संकटों में उनके साथ खड़ा हो और उनका सहयोग करे, आप सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम का फरमान है : "एक मोमिन दूसरे मोमिन के लिए एक दीवार के समान है जिसका एक हिस्सा दूसरे हिस्सा को शक्ति पहुँचाता है।" और आप ने अपने एक हाथ की अंगुलियों को दूसरे हाथ की अंगुलियों में दाखिल किया। (सहीह बुखारी १/८६३ हदीस नं.:२३१४)

तथा आवश्यकता पड़ने पर उनकी सहायता करने का हुक्म दिया है : "और अगर वो दीन के मामले में तुम से मदद मांगें तो तुम पर उनकी मदद करना लाज़िम व वाजिब है मगर उन लोगों के मुक़ाबले में (नहीं) जिनमें और तुम में बाहम (सुलह का) अह्द व

पैमान है और जो कुछ तुम करते हो अल्लाह (सबको) देख रहा है।" (सूरतुल अनफाल :७२)

तथा उन्हें असहाय छोड़ देने से रोका है, अल्लाह के पैग़म्बर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फरमाया :

"जो अदमी भी किसी मुसलमान की ऐसी जगह में सहायत और मदद करना छोड़ देता है जहाँ उसकी हुर्मत को पामाल किया जाता है और उसकी बे-इज़्ज़ती की जाती है, तो अल्लाह तआला ऐसे आदमी को ऐसी जगह पर असहाय छोड़ देगा जहाँ वह उसकी सहायता और सहयोग को पसंद करता है। तथा जो आदमी किसी मुसलमान की ऐसी जगह में सहायता और सहयोग करता है जहाँ उसकी हुर्मत को पामाल किया जाता है और उसकी बे-इज़्ज़ती की जाती है, तो अल्लाह तआला ऐसे आदमी की ऐसी जगह पर सहायता और मदद करेगा जहाँ वह उसकी सहायता को पसंद करता है।" (सुनन अबू दाऊद ४/२७१ हदीस नं.:४८८४)

✸ इस्लाम धर्म ने मीरास का ऐसा नियम प्रस्तुत किया है जो मृतक के उन वारिसों पर जिनका मीरास के अन्दर अधिकार है चाहे वह छोटा हो या बड़ा, मर्द हो या औरत, वरासत (मृतक के क़र्ज़ की अदायगी

और वसीयत पूरी करने के बाद बचा हुआ तर्का) को न्यायपूर्ण पसंदीदा ढंग से अच्छी तरह बांटता है, जिसकी यथार्थता की शहादत विशुद्ध और स्वस्थ बुद्धि के लोग देते हैं, इस मीरास को धन वाले मृतक व्यक्ति से दूरी और नज़दीकी और लाभ के एतिबार से बांटा जाता है, चुनाँचि किसी को अपनी इच्छा और खाहिश के अनुसार मीरास को बांटने का अधिकार नहीं है, इस व्यवस्था की अच्छाईयों में यह है कि वह धनों को चाहे वह कितना ही बड़ा क्यों न हो उन्हें तोड़ कर छोटी-छोटी मिलकियतों में कर देता है, और सम्पत्तियों को कुछ निर्धारित लोगों के हाथों में ही एकत्रित रह जाने के मामले को लगभग असम्भव बना देता है, क़ुर्आन करीम ने औलाद, माता-पिता, मियाँ-बीवी और भाईयों के हिस्से बयान किए हैं, जिनके विस्तार का यह अवसर नहीं है, इसके लिए मीरास की किताबों को देखें।

आप सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम का फरमान है : "अल्लाह तआला ने हर हक़ वाले को उसका हक़ दे दिया है, अतः किसी वारिस के लिए वसीयत नहीं है।" (सुनन अबू दाऊद ३/११४ हदीस नं.:२८७०)

✸इस्लमाम धर्म ने वसीयत का नियम वैध किया है, जिसके अनुसार मुसलमान के लिए वैध है कि वह अपने मरने के बाद अपने धन को नेकी और भलाई के कामों में लगाने की वसीयत करे, ताकि वह धन उसके मरने के बाद सद्क़ा जारिया बन जाए, किन्तु इस वसीयत को एक तिहाई धन के साथ सीमित किया गया है, आमिर बिन सअद रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम मेरी अयादत करते थे जबकि मैं मक्का में बीमार था, तो मैं ने कहा कि मेरे पास धन है, क्या मैं अपने पूरे माल की वसीयत कर दूँ? आप ने कहा नहीं, तो मैं ने कहा तो फिर आधे माल की? आप ने फरमाया नहीं, मैं ने कहा तो फिर एक तिहाई की? आप ने फरमाया : "एक तिहाई की कर सकते हो और एक तिहाई भी अधिक है, तुम्हारा अपने वारिसों को मालदार छोड़ना इस बात से बेहतर है कि तुम उन्हें मुहताज छोड़ दो, वो लोगों के सामने हाथ फैलाते फिरें, और तुम कितना भी खर्च कर डालो वह सद्क़ा है यहाँ तक कि अपनी बीवी के मुँह में जो लुक़मा डालते हो (वह भी सद्क़ा है) और शायद अल्लाह तुम्हारी बीमारी को उठा ले और कुछ लोग तुझ से

लाभ उठायें और दूसरे लोग नुक़सान।'' (सहीह बुखारी १/४३५ हदीस नं.:१२३३)

तथ वसीयत के अन्दर वारिसों को छति न पहुँचाई जाए, अल्लाह तआला का फरमान है : ''(ये सब) मैइत ने जिसके बारे में वसीयत की है उसकी तामील और (अदाए) क़र्ज़ के बाद, मगर हाँ वह वसीयत (वारिसों को) नुक़्सान पहुँचाने वाली न हो, ये वसीयत अल्लाह की तरफ़ से है।'' (सूरतुन्निसा :१२)

✸ इस्लाम धर्म ऐसी दंड संहिता प्रस्तुत करता है जो अपराधों और उसके फैलाव से समाज की सुरक्षा और शांति को सुनिश्चित करता है, चुनाँचि वह खून-खराबा को रोकता है, सतीत्व की रक्षा करता है, धनों की हिफाज़त करता है, बुरे लोगों को दबाता है, और लोगों की इस बात से सुरक्षा करता है कि उनमें से एक दूसरे पर आक्रमण करे। इसी तरह अपराध की रोक-थाम करता है या उसमें कमी करता है। इसी लिए हम देखते हैं कि इस्लाम ने हर अपराध का एक दंड निर्धारित किया है जो उस अपराध की गम्भीरता के अनुकूल होता है, चुनाँचि जानबूझ कर किसी को क़त्ल कर देने का दंड यह निर्धारित किया है कि उसे बदले में क़त्ल कर दिया जाए, अल्लाह तआला का

फरमान है : "ऐ मोमिनो! जो लोग (नाहक़) मार डाले जाएँ उनके बदले में तुम को जान के बदले जान लेने का हुक्म दिया जाता है।" (सूरतुल बक़रा :१७८)

हाँ, अगर जिसका क़त्ल हुआ है उसके घर वाले उसे माफ कर दें, तो फिर कोई बात नहीं, जैसाकि अल्लाह तआला का फरमान है :

"पस जिस (क़ातिल) को उसके ईमानी भाई (तालिबे क़िसास) की तरफ से कुछ माफ़ कर दिया जाये तो उसे भी उसके क़दम ब क़दम नेकी करना और सद्व्यवहार से (खून बहा) अदा कर देना चाहिए।" (सूरतुल बक़रा :१७८)

तथा चोरी की सज़ा क़त्ल क़रार दिया है, अल्लाह तआला का फरमान है : "और चोर चाहे मर्द हो या औरत, तुम उनके करतूत की सज़ा में उनका (दाहिना) हाथ काट डालो ये (उनकी सज़ा) अल्लाह की तरफ़ से है और अल्लाह (तो) बड़ा ज़बरदस्त हिकमत वाला है।" (सूरतुल मायदा :३८)

जब चोर का पता चलेगा कि चोरी करने पर उसका हाथ काट दिया जाए गा तो वह चोरी करने से रूक जाए गा, इस प्रकार उसका हाथ कटने से बच जाए

गा और लोगों के धन भी चोरी से सुरक्षित हो जायें गे।

तथा ज़िना के द्वारा लोगों के आबरू (सतीत्व) पर आक्रमण करने वाले अविवाहित का दंड कोड़ा लगाना घोषित किया है, अल्लाह तआला का फरमान है : "ज़िना करने वाली औरत और ज़िना करने वाले मर्द इन दोनों में से हर एक को सौ (सौ) कोड़े मारो।" (सूरतुन्नूर :२)

तथा किसी के सतीत्व पर ज़िना का आरोप लगाने वाले का दंड भी कोड़ा मारना घोषित किया है, अल्लाह तआला ने फरमाया : "और जो लोग पाक दामन औरतों पर (ज़िना की) तोहमत लगाएँ फिर (अपने दावे पर) चार गवाह पेश न करें तो उन्हें अस्सी कोड़ें मारो।" (सूरतुन्नूर :४)

इसके बाद शरीअत ने एक सामान्य धार्मिक नियम निर्धारित किया है जिस के आधार पर दंडों को सुनिश्चित किया जाए गा, अल्लाह तआला का फरमान है : "और बुराई का बदला उसी जैसी बुराई है।" (सूरतुश्शूरा :४०)

तथा अल्लाह तआला का फरमान है : "और अगर तुम दंड दो तो उतना ही दंड दो जितना तुम्हें कष्ट पहुँचाया गया है।" (सूरतुन्नह्ल :१२६)

इन सज़ाओं और दंडों को लागू करने की कुछ शर्तें और ज़ाबते हैं, जबकि ज्ञात होना चाहिए कि इस्लाम ने इन सज़ाओं को लागू करना आवाश्यक ही नही क़रार दिया है बल्कि मानवाधिकार में माफी और क्षमा के सामने रास्ते को खुला छोड़ा है, अल्लाह तआला का फरमान है : "और जो माफ कर दे और सुधार कर ले तो उसका बदला अल्लाह के ऊपर है।" (सूरतुश्शूरा :४०)

इन सज़ाओं और दंडों को लागू करने से इस्लाम का उद्देश्य बदला और हिंसा-प्रियता नहीं है, बल्कि उसका उद्देश्य लोगों के अधिकारों की सुरक्षा, समाज में शांति और संतोष पैदा करना और उसकी रक्षा करना और उसकी शांति और स्थिरता से खिलवाड़ करने वाले को रोकना है, जब हत्यारे को पता चल जायेगा कि उसकी भी हत्या कर दी जाए गी, जब चोर को मालूम हो जायेगा कि उसका हाथ काट दिया जाए गा, जब ज़िना करने वाले को पता चल जायेगा कि उसे कोड़ा लगाया जायेगा और जब ज़िना की तोहमत लगाने

वाले को पता चल जाएगा कि उसे कोड़ा मारा जायेगा, तो वह अपने इरादे से बाज़ आ जाएगा, चुनाँचि वह स्वयं सुरक्षित होगा और दूसरे भी सुरक्षित रहें गे। अल्लाह तआला का कथन कितना सच्चा है :

"ऐ अक़्लमन्दो! क़िसास (हत्यादंड के क़वाएद मुक़र्रर कर देने) में तुम्हारी ज़िन्दगी है (और इसीलिए जारी किया गया है ताकि तुम ख़ूँरेज़ी से) परहेज़ करो।" (सूरतुल बक़रा :१७६)

कोई कहने वाला कह सकता है कि ये सज़ायें जिन्हें इस्लाम ने कुछ अपराधों के लिए निर्धारित किया है, बहुत कठोर दंड हैं! तो ऐसे आदमी से कहा जाये गा कि सभी लोग इस पर सहमत हैं कि इन अपराधों के समाज पर ऐसे नुक़सानात हैं जो किसी पर रहस्य नहीं, और यह कि उनका विरोध और रोक थाम करना और उन पर दंड लगाना आवश्यक है, मतभेद केवल इस में है कि किस प्रकार का दंड होना चाहिए, अब हर आदमी को अपने आप से प्रश्न करना चाहिए और देखना चाहिए कि क्या इस्लाम ने जो सज़ाएं रखी हैं वो अपराध की जड़ को काटने या उसे कम करने में अधिक लाभदायक और प्रभावकारी हैं, या वो सज़ाएं जिन्हें मानव ने निर्धारित किए हैं जो

अपराध को अतिरिक्त बढ़ावा देते हैं? चुनाँचि पीड़ित अंग को काटना आवाश्यक होता है ताकि शेष शरीर सुरक्षित रह सके।

✸ इसलाम धर्म ने सभी आर्थिक लेन-देन और मामलात जैसे क्रय-विक्रय, साझेदारियाँ, किराया पर देना, मुआवज़े आदि वैध किए हैं क्योंकि इस में लोगों पर उनके मआशी मामलों में विस्तार पैदा होता है, इसके कुछ शरई नियम हैं जो हानि न होने और अधिकारों की रक्षा को सुनिश्चित करते हैं, और वह इस प्रकार कि दोनों पक्षों के बीच रज़ामंदी हो, जिस चीज़ पर मामला किया जा रहा है उसकी, उसके विषय और उसकी शर्तों की जानकारी हो, इस्लाम ने केवल उसी चीज़ को हराम घोषित किया है जिसमें हानि और अत्याचार (अन्याय) हो जैसे सूद, जुवा, लाटरी और वो मामलात जिनमें अज्ञानता हो, शरई नियमानुसार माली योग्यता और उसमें तसर्रुफ की आज़ादी सभी का अधिकार है, किन्तु इस्लाम ने मनुष्य पर उसके माल के अन्दर तसर्रुफ करने पर पाबन्दी को वैध कर दिया है अगर उसके तसर्रुफ का उसके ऊपर या किसी दूसरे पर हानि का कारण हो, उदाहरण के तौर पर पागल, अल्पायु (छोटी उम्र वाला) और बेवकूफ

आदमी पर पाबंदी लगाना, या क़र्ज़दार आदमी पर पाबंदी लगाना यहाँ तक कि वह अपना क़र्ज़ चुका दे, इस कृत्य में जो हिक्मत (रहस्य) और लोगों के हुक़ूक़ की सुरक्षा का ध्यान रखा गया है, वह किसी बुद्धि वाले आदमी से गुप्त नहीं है, क्योंकि इसमें दूसरों के हुक़ूक़ का खिलवाड़ और मज़ाक बनने से सुरक्षा है।

✸ इस्लाम धर्म एकता, एकजुटता और गठबंधन का धर्म है जिसने सभी मुसलमानों को इस बात की तरफ बुलाया है कि वह सब के सब एक साथ और एक हाथ हों ताकि उन्हें गौरव और प्रतिष्ठा प्राप्त हो, और वह निम्नलिखित तरीक़े से :

➢ निजी इच्छाओं और शत्वतों को त्याग कर जो उनके बीच जनजातीय और सांप्रदायिक पूर्वाग्रहों (हठ) को जन्म देता है, जो कि विघटन, मतभेद और फूट का एक तत्व समझा जाता है, अल्लाह तआला का फरमान है : ''और तुम उन लोगों की तरह न हो जाना जिन्हों ने अपने पास स्पष्ट प्रमाण आ जाने के बाद भी फूट और मतभेद डाला, इन्हीं के लिए भयंकर अज़ाब है।'' (सूरत आल इमरान :१०५)

मतभेद करना इस्लाम का तरीक़ा नहीं है, अल्लाह तआला का फरमान है :

"बेशक जिन्हों ने अपना दीन अलग-अलग कर दिया और अनेक धार्मिक सम्प्रदाय बन गए, आप का उन से कोई संबंध नहीं, उनका फैसला अल्लाह के पास है, फिर उन्हें उस से आगाह करेगा जो वह करते रहे हैं।" (सूरतुल अंआम :१५९)

क्योंकि मतभेद और फूट हैबत के समाप्त हो जाने और दुश्मनों के प्रभुत्ता और स्थिति के गिर जाने का कारण है, अल्लाह तआला का फरमान है : "आपस में मतभेद न रखो, नहीं तो बुज़दिल हो जाओ गे और तुम्हारी हवा उखड़ जायेगी।" (सूरतुल अन्फाल :४६)

➢अक़ाईद और इबादात को शिर्क और बिद्आत की चीज़ों से शुद्ध और पवित्र करना। अल्लाह तआला का फरमान है :

"सुनो! अल्लाह तआला ही के लिए खालिस इबादत करना है, और जिन लोगों ने उसके सिवाय औलिया बना रखे हैं (और कहते हैं) कि हम उनकी इबादत केवल इसलिए करते हैं कि यह (बुज़ुर्ग) हम को अल्लाह के क़रीब पहुँचा दें।" (सूरतुज़्ज़ुमर :३)

➢सभी राजनीतिक, आर्थिक ... इत्यादि मामलों मे मुसलमानों के बीच समन्वय का होना जिस से उन्हें सुरक्षा, शांति और स्थिरता प्राप्त हो, अल्लाह तआला का फरमान है : "और अल्लाह तआला की रस्सी को मज़बूती से थाम लो और गुटबंदी न करो।" (सूरत आल-इमरान :१०३)

✸इस्लाम धर्म ने लोगों के लिए प्रोक्ष बातों को जगजाहिर किया है और उनके लिए पिछले लोगों (समुदायों) की सूचनाओं को स्पष्ट रूप से बयान किया है, चुनाँचि कुर्आन की बहुत सी आयतों में अल्लाह तआला ने हमें पिछले पैग़म्बरों और उनकी क़ौमों और उनके साथ पेश आने वाली घटनाओं की सूचना दी है, अल्लाह तआला का फरमान है: "और हम ने मूसा अलैहिस्सलाम को अपनी आयतों और स्पष्टों प्रमाणों के साथ भेजा, फिर्औन और हामान और क़ारून की तरफ।" (सूरतुल मोमिन :२३-२४)

तथा अल्लाह तआला का फरमान है :

"और (याद करो) जब मर्यम के बेटे ईसा ने कहा : ऐ बनी इसराईल! मैं तुम्हारे पास अल्लाह का भेजा

हुआ रसूल हूँ और अपने से पूर्व किताब तौरात की तसदीक़ (पुष्टि) करने वाला हूँ।" (सूरतुस्सफ़ :६)

तथा अल्लाह तआला ने फरमाया : "तथा हम ने आ'द की ओर उनके भाई हूद को भेजा, तो उन्हों ने कहा : ऐ मेरी क़ौम अल्लाह की उपासना करो, उसके सिवाय तुम्हारा कोई सच्चा मा'बूद (पूज्य) नहीं।" (सूरतुल आराफ :६०)

तथा अल्लाह तआला ने फरमाया :

"तथा समूद की ओर उनके भाई सालेह को भेजा, तो उन्हों ने कहा : ऐ मेरी क़ौम! अल्लाह की उपासना करो, उसके सिवाय तुम्हारा कोई सच्चा मा'बूद नहीं।" (सूरतुल आराफ :७३)

इसी तरह बाक़ी नबियों और रसूलों के बारे में भी क़ुर्आन हमें सूचना देता है कि उनकी क़ौमों के साथ क्या घटनायें पेश आईं।

✸ इस्लाम धर्म ने इंसान और जिन्नात सभी लोगों को चुनौती दी है कि इस्लाम के प्रथम दस्तूर क़ुर्आन करीम जैसी किताब ले आयें और यह चुनौती निरंतर प्रलोक तक बाक़ी रहेगी। अल्लाह तआला ने इरशाद फरमाया : "यदि इंसान और जिन्नात मिल कर इस

कुर्आन जैसी किताब लाना चाहें तो नहीं ला सकते अगरचे वह आपस में एक दूसरे की सहायता करें।''

कुर्आन की यह चुनौती धीरे-धीरे कुर्आन जैसी कुछ सूरतें लाने की हो गई, अल्लाह तआला ने फरमाया : ''क्या ये लोग यह कहते हैं कि उस (मुहम्मद) ने इसे गढ़ लिया है? आप कह दीजिए कि तुम लोग उस जैसी दस सूरतें ही गढ़ कर ले आओ और अल्लाह के अलावा जिसे चाहो अपनी सहायता के लिए बुला लो यदि तुम सच्चे हो।''

फिर इस चुनौती को और कठोर करते हुए कुर्आन जैसी एक सूरत ही लाने का मुतालबा किया गया, अल्लाह तआला ने फरमाया :

''हम ने जो कुछ अपने बन्दे पर उतारा है अगर उसके विषय में तुम्हें शक है तो तुम लोग उस जैसी एक सूरत ही ले आओ और अल्लाह को छोड़ कर अपने साझेदारें को बुला लो, यदि तुम सच्चे हो।'' (सूरतुल बक़राः२३)

✸ इस्लाम धर्म प्रलोक के क़रीब होने और दुनिया के समाप्त होने के लक्षणों (निशानियों) में से एक लक्षण है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने स्पष्ट किया

है कि वह प्रलोक के नबी हैं और उनका नबी बनाकर भेजा जाना प्रलोक के क़रीब होने की दलील है, अनस रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फरमाया कि : "मैं और प्रलोक इन दोनों की तरह भेजे गए हैं।" रावी कहत हैं कि : आप ने बीच वाली और शहादत वाली अंगुली को मिलाया। (सहीह मुस्लिम)

और इसका कारण यह है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम अन्तिम सन्देष्टा हैं।

(अताउर्रहमान ज़ियाउल्लाह)*

* atazia75@gmail.com